खण्ड–28, अंक–03
बुधवार, 19 फाल्गुन, शक संवत्, 1931
(10 मार्च, 2010 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(द्वितीय विधान सभा)
(प्रथम सत्र, 2010)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 28 में 10 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2012

मूल्य–

विषय सूची

विषय		पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	... ...	''क''
प्रश्नोत्तर	... ...	1–52
नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं		52
जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट के अन्तर्गत कई गाँवों में खाद्यान्न संकट के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना		52–53
प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना		53–54
उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) (संशोधन) विधेयक, 2010 (पुरःस्थापित)	... ...	54–55
नियम–310 के अन्तर्गत कतिपय विषयों को सुने जाने की माँग	...	55–61
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	... ...	62
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा... (चर्चा जारी)		62
नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं	... ...	62
नत्थी	... ...	63–64

''क''

उपस्थिति

1–श्री अजय टम्टा
2–श्री अरविन्द पाण्डे
3–श्री अनिल नौटियाल
4–श्रीमती अमृता रावत
5–श्रीमती आशा
6–श्री ओम गोपाल
7–श्री करन मेहरा
8–सुश्री कैरन मेयर
9–श्री किशोर उपाध्याय
10–श्री केदार सिंह रावत
11–श्री केदार सिंह फोनिया
12–श्री खजान दास
13–श्री खड़क सिंह बोहरा
14–श्री गगन सिंह
15–श्री गणेश जोशी
16–श्री गोपाल सिंह राणा
17–श्री गोपाल सिंह रावत
18–श्री गोविन्द लाल
19–श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
20–श्री गोविन्द सिंह बिष्ट
21–श्री चन्दन राम दास
22–श्री जोगा राम टम्टा
23–श्री जोत सिंह गुनसोला
24–हाजी तस्लीम अहमद
25–श्री तिलक राज बेहड़
26–श्री दिनेश अग्रवाल
27–श्री दिवाकर भट्ट
28–श्री दिवान सिंह
29–श्री नारायण पाल
30–काजी मौ0 निजामुद्दीन
31–श्री पुष्पेश त्रिपाठी
32–श्री प्रकाश पन्त
33–कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''
34–श्री प्रीतम सिंह
35–श्री प्रेम चन्द अग्रवाल
36–श्री प्रेमानन्द महाजन
37–श्री बलवन्त सिंह भौर्याल
38–श्री बलवीर सिंह नेगी
39–श्री बिशन सिंह चुफाल
40–श्री बंशीधर भगत
41–श्री बृजमोहन कोटवाल
42–श्री शेर सिंह
43–मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए0वी0एस0एम0
44–श्री मदन कौशिक
45–श्री मनोज तिवारी
46–श्री मयूख सिंह
47–श्री महेन्द्र सिंह माहरा ''महू भाई''
48–श्री मातबर सिंह कण्डारी
49–श्री यशपाल बेनाम
50–चौ0 यशवीर सिंह
51–श्री रणजीत रावत
52–डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक''
53–श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
54–श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा
55–श्रीमती विजय बड़थ्वाल
56–श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)
57–श्रीमती वीना महराना
58–श्री शहजाद
59–डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
60–श्री शैलेन्द्र सिंह रावत
61–श्री सुरेन्द्र राकेश
62–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
63–श्री सुरेश चन्द जैन
64–डा0 हरक सिंह रावत
65–श्री हरभजन सिंह चीमा
66–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

बुधवार, दिनांक 10 मार्च, 2010 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा–मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री हरबंस कपूर के सभापतित्व में आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

मसूरी नगर पालिका को ईको टैक्स से प्राप्त आय एवं प्रदूषण मुक्ति हेतु व्यय धन

**1–श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ईको टैक्स में मसूरी नगर पालिका परिषद् को अब तक कितनी आय हुई है ?

तथा उक्त ईको टैक्स से पर्यावरण को बेहतर व प्रदूषण मुक्त करने हेतु कितना धन व्यय किया गया है ?

क्या प्रदेश की अन्य नगर पालिकाओं, परिषदों व नगर पंचायतों द्वारा भी ईको टैक्स लगवाकर अपनी–अपनी निकायों को पर्यावरण प्रदूषण मुक्त करेंगी ?

यदि नहीं, तो क्या सरकार अतिरिक्त धन की व्यवस्था हेतु विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन, गन्ना विकास एवं नगर विकास मंत्री (श्री मदन कौशिक)–

नगर पालिका परिषद्, मसूरी द्वारा ईको पर्यटक शुल्क के रूप में दिनांक 5–3–2010 तक कुल रु0 19,94,140/– वसूल किया गया है।

नगर पालिका द्वारा उक्त वसूल की गयी धनराशि को अद्यतन तिथि तक व्यय नहीं किया गया है।

निकायों के द्वारा ऐसी कोई सूचना सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

समय–समय पर विभिन्न माध्यमों से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, नगर पालिका परिषद्, मसूरी के द्वारा जो ईको टैक्स आरोपित किया गया है, जो कि वैधानिक दृष्टि से और एक्ट की दृष्टि से गलत है और

जिस धारा में नगर पालिका परिषद् ने इस ईको टैक्स को रोपित किया, जिसे प्रस्तावित किया, वह म्युनिसिपल एक्ट की धारा 298 (जे) और (ए) के तहत उन्होंने इसे प्रस्तावित किया। आयुक्त, गढ़वाल मण्डल ने इसको नगर पालिका अधिनियम, 1916 की एक्ट संख्या 2, उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण अध्यादेश, 2002 की धारा–298 की धारा–1 (ए) (आई) के अन्दर स्वीकृति प्रदान करके अधिसूचना जारी की है। जो कि तथ्यों के हिसाब से सरासर गलत है। साथ ही मैं यह भी बताना चाहूँगा कि म्युनिसिपल एक्ट की धारा–293 के तहत किसी कर को आरोपित करने का अधिकार नहीं है। जिसमें यह साफ कहा गया है कि ''सार्वजनिक मार्ग से आवागमन हेतु फीस उद्धृत करने की शक्ति नगर पालिकाओं में नहीं है।'' फिर भी नगर पालिकाओं ने इसे अधिरोपित किया। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा उत्तर प्रदेश की एक नगर पालिका के संदर्भ में निर्णय दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय गुनसोला जी, कृपया प्रश्न करें।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, पहला प्रश्न यह है कि जिस धारा के अन्तर्गत यह कर आरोपित किया गया है, उसे निरस्त करते हुए ईको टैक्स को समाप्त किया जायेगा ? दूसरा प्रदेश की किसी भी प्रवेश द्वार पर टैक्स लगाने और सभी नगर पालिकाओं में उसके संसाधनों को बढ़ाने के लिए आनुपातिक दृष्टि से उसका विभाजन सरकार करेगी ? तीसरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने जो जवाब सदन में दिया है कि 19 लाख, 94 हजार, एक सौ चालीस रुपये, जो ईको टैक्स पर्यावरण और प्रदूषण को संरक्षित करने के लिए खर्च किया जाना चाहिये, लेकिन नगर पालिका ने उसको आज तक खर्च नहीं किया यह सरकार के दस्तावेज बता रहे हैं और न ही इसे खर्च करने की कोई व्यवस्था है। तो ऐसे शुल्क को लगाने का, उद्धृत करने का और लेने का अधिकार न सरकार को है और न नगर पालिका को है, सरकार इस पर जवाब दे।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, नगर पालिका, मसूरी द्वारा अवगत कराया गया है कि नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा–298 (एक) में जो उसे अधिकार प्राप्त हैं, उसके अन्तर्गत उसने ईको टैक्स की उपविधि बनाई और उसके अन्तर्गत इसको टैक्स के रूप में लेना शुरू किया है। जहाँ तक माननीय विधायक जी ने पूछा है कि जो धारा–298 की धारा (एक) की उपधारा (जे) (ए) के अन्तर्गत जो उपविधियाँ बनाई थीं और आयुक्त महोदय ने उसमें धारा–298 के (जे) (ए) के अन्तर्गत प्रकाशित कराई थी। मान्यवर, और उसमें अंकित हो

गया 981 (1) (आई), इसको संशोधन कर लिया गया है, लेकिन जहाँ तक सवाल इस चीज का है कि ये प्रकरण सन्, 2000 से लम्बित रहा है। जैसा नगर पालिका ने अवगत कराया। सन् 2000 में तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष, माननीय वर्तमान विधायक जी ने ही इसका प्रयास किया था, लेकिन चूँकि यह मामला इस रूप में है कि नगर पालिका को किस प्रकार से अच्छा, सुन्दर और व्यवस्थित बनाया जाय और उसमें निश्चित रूप से ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल माननीय विधायक जी ने कहा कि क्या इस सम्बन्ध में नगर पालिका 1958 (1) के अन्तर्गत इसको अधिकार प्राप्त है या नहीं। तो इस सम्बन्ध में माननीय विधायक जी द्वारा पहले भी एक बार कहा गया था। इसकी न्यायिक रूप से जाँच करायी जा रही है और न्यायिक जाँच के बाद जो भी विषय आयेगा, उस पर तत्काल हम निर्णय, विधिक राय परीक्षण कराया जा रहा है, जो भी राय आयेगी, उस पर निर्णय लिया जायेगा। दूसरा माननीय विधायक जी ने प्रदेश में एक स्थान पर टैक्स लगाने की बात कही, अभी सरकार का इस बारे में कोई विचार नहीं है।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या सरकार इस प्रदेश की अन्य नगर पालिकाओं को भी, नगर पालिका परिषद्, मसूरी ने जिस तरह ईको टैक्स वसूली का निर्णय लिया, अन्य नगर पालिकाओं को टैक्स वसूली का निर्णय सरकार लेगी, अगर लेगी तो कब तक लेगी ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव, किसी भी नगर पालिका से किसी प्रकार की सूचना सरकार को प्राप्त नहीं हुई है। (व्यवधान)

श्री जोत सिंह गुनसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी का जवाब आया कि इसकी विधिक राय ले ली जायेगी और माननीय मंत्री जी, चूँकि जिस प्रक्रिया के तहत ये कर आरोपित किया गया है उसमें मुझे यह नहीं लगता है कि ये शासन को सन्दर्भित भी किया गया होगा। इसकी प्रक्रिया में तो बहुत खामी हैं। इसलिए कहा गया है कि अगर प्रदेश की (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय गुनसोला जी, कृपया प्रश्न कर दीजिए। आज प्रश्न बहुत हैं। तारांकित भी हैं, अल्पसूचित भी हैं।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, मैं प्रश्न ही कर रहा हूँ। अगर प्रदेश के अन्य निकाय, नगर पालिका परिषदें और पंचायतें इस टैक्स को अपने यहाँ लगाती हैं तो क्या सरकार इसको लगाने के लिए अनुमति प्रदान करेगी ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैंने जवाब दिया कि अभी किसी भी नगर पालिका या नगर पंचायत से इस प्रकार की सूचना सरकार को प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन मैंने जैसा कहा कि इस सम्बन्ध में एक शिकायत पहले भी माननीय विधायक जी द्वारा की गयी है और इसकी जो विधिक राय आयेगी, विधिक के बाद इस पर हम निर्णय लेंगे। लेकिन अभी कोई इस प्रकार की किसी भी पंचायत की कोई सूचना हमारे पास प्राप्त नहीं है। (व्यवधान)

स्थगित तारांकित प्रश्न

उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम–40(2) के अन्तर्गत स्थगित तारांकित प्रश्न

गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि0 द्वारा मसूरी में पार्किंग हेतु क्रय भूमि में दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कृत कार्यवाही

*1–श्रीमती अमृता रावत–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2008 के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न संख्या–03 के उत्तर के क्रम में क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि0 द्वारा मसूरी में पार्किंग हेतु भूमि क्रय करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी कर निविदाएं आमंत्रित न करने के प्रति अब तक क्या कार्यवाही की गई है और इसके लिए किस अधिकारी/कर्मचारी को दोषी पाया गया है ?

श्री मदन कौशिक–

प्रश्नगत प्रकरण की जाँच जस्टिम शर्मा जाँच आयोग द्वारा की जा रही है। जाँच आयोग की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

माननीय अध्यक्ष जी, ये प्रश्नगत जो प्रकरण है, इसकी जाँच जस्टिस शर्मा आयोग के द्वारा की जा रही है और जाँच की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। जाँच की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद चूँकि जहाँ तक माननीय सदस्या ने प्रश्न किया, वहाँ तक वो प्रश्न ठीक है। इसमें पहले भी एक बार बात आई थी, तो क्या उनको दण्ड देना है, क्या नहीं देना है, अभी कह देना थोड़ा जल्दबाजी होगा। जैसे ही शर्मा आयोग की रिपोर्ट हमें प्राप्त होगी, तब हम उस पर अग्रिम कार्यवाही करेंगे।

श्रीमती अमृता रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह बात कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से आपने मेरे प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया कि जस्टिम शर्मा जाँच आयोग के द्वारा ये जाँच की जा रही है। तो माननीय मंत्री जी कोई अगर भ्रष्टाचार होता है तो उसको किसी जाँच में डाला जाता है, जब आपके विभाग ने देखा होगा कि

इसमें भ्रष्टाचार हुआ है तभी इसको जाँच में डाला। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसमें वो अधिकारी अभी भी क्या उसी पद पर स्थित है और अगर वो पद पर स्थित है तो क्या वो जाँच को प्रभावित नहीं करेगा ?

श्री अध्यक्ष–

जो माननीय मंत्री जी ने अन्तरिम उत्तर दिया है।

श्रीमती अमृता रावत–

माननीय मंत्री जी कुछ अवधि तो बतायें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह जाँच आयोग को संदर्भित है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जिसके बारे में माननीय सदस्य ने कहा, वह रिटायर्ड हो गये हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, रिटायर्ड हो गये हैं तो उस व्यक्ति की पेंशन रोकी जानी चाहिए थी।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, 56 घोटालों में से यह भी एक था।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के कई माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर जोर–जोर से बोलने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।) (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। किसी भी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा।

देहरादून के आवासीय परिसरों में संचालित डेयरियों के कारण उत्पन्न प्रदूषण रोकने हेतु कार्यवाही

*2–श्री गणेश जोशी–

क्या नगर विकास मंत्री अवगत हैं कि देहरादून में आवासीय परिसरों में डेयरी फार्म संचालित किये जा रहे हैं ?

क्या यह सत्य है कि इन डेयरी फार्मों से न सिर्फ आस–पास का वातावरण प्रदूषित हो रहा है बल्कि मच्छरों व मक्खियों के प्रकोप के कारण भयानक बीमारियाँ पैदा हो रही हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार आवासीय परिसरों में डेयरी संचालन के रोकथाम के लिए कोई कारगर कदम उठाने पर विचार करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

यद्यपि डेयरी फार्मों द्वारा गन्दगी फैलाये जाने से आस–पास का वातावरण प्रदूषित होता है तथापि डेयरियों के कारण भयानक बीमारियाँ सम्बन्धी कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री गणेश जोशी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया कि ''जी हाँ'' आवासीय परिसरों में डेयरी फार्म संचालित किये जा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या आवासीय परिसरों में डेयरी फार्म संचालित किये जाने का प्राविधान है ? दूसरा माननीय मंत्री जी ने कहा कि डेयरी फार्म द्वारा गन्दगी फैलाये जाने से आस–पास का वातावरण प्रदूषित होता है तथा डेयरियों के कारण भयानक बीमारियों सम्बन्धित कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं है। क्या माननीय मंत्री जी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जब भयानक बीमारी फैलेगी तब उसको रोका जायेगा ? तीसरा प्रश्न था कि क्या सरकार आवासीय परिसरों में डेयरी संचालन के रोकथाम के लिए कोई कारगर कदम उठाने पर विचार करेगी, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया, 'जी हाँ' तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि यह कारगर कदम कब तक उठाये जायेंगे ?

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, नगर निगम अधिनियम, 1956 की धारा–440 के अनुसार कोई व्यक्ति नगर मुख्य विकास अधिकारी से इस प्रकार डेरी चलाने की अनुमति प्राप्त कर सकता है। लेकिन वर्तमान में नगर निगम देहरादून के अन्तर्गत जो डेयरी संचालित हैं, नगर निगम के द्वारा किसी ने भी लाइसेंस प्राप्त नहीं किये हैं, सारी डेयरियाँ बिना लाइसेंस के चल रही हैं।

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, देहरादून शहर में कितनी संख्या है ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आप माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से सवाल कर लीजिए, मैं उसका भी जवाब दे दूँगा। दूसरा सवाल माननीय सदस्य ने किया, मैंने कहा कि जो शिकायतें प्राप्त होती हैं, उन शिकायतों पर हम तत्काल कार्यवाही करते हैं, तो जैसे–जैसे शिकायत प्राप्त होती है, उसी आधार पर हम कार्यवाही करते हैं। वर्तमान में इन डेयरियों में इस प्रकार की रोकथाम के लिए हमने नगर निगम अधिनियम की धारा–258 ''घ'' के अन्तर्गत चालान किये हैं। इसी प्रकार से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–133 के अन्तर्गत हमने उनको नोटिस जारी किये हैं। इसके कारण वह कहीं न कहीं प्रक्रिया रूकती भी हैं। तीसरा, कहीं इस प्रकार की शिकायत होती है, जैसे माननीय सदस्य ने अवगत कराया उस पर हम तत्काल कार्यवाही करते हैं। मान्यवर, जो भी शिकायतें प्राप्त होती हैं, उन शिकायतों पर हम तत्काल कार्यवाही करते हैं।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा कि देहरादून के अन्दर आवासीय कालोनी में जितनी डेयरियाँ संचालित हो रही हैं, वह अवैध रूप से संचालित हो रही हैं। जो अवैध रूप से संचालित डेयरियाँ हैं, उनकी संख्या कितनी है ? दूसरी बात मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जो अवैध रूप से डेयरियाँ संचालित हो रही हैं, उनके खिलाफ सरकार द्वारा कब–कब और क्या–क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, नगर निगम के अन्तर्गत 251 डेयरियाँ संचालित हैं। अगर माननीय सदस्य कहें, तो मैं नाम भी पढ़ दूँ।

श्री प्रीतम सिंह–

नहीं नाम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मदन कौशिक–

अभी तक हम लोगों ने वर्ष 2008, 2009 में 527, 258 (घ) के अन्तर्गत उनके चालान किये हैं। वर्ष 2010 में 28–01–2010 में 241 चालान किये गये हैं। इसी प्रकार धारा–133 के अन्तर्गत 19 डेयरी स्वामियों के खिलाफ कार्यवाही की है। इसी प्रकार वर्ष 2008–2009 के अन्तर्गत हम लोगों ने 31 के खिलाफ कार्यवाही की है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष–

आपके प्रश्न का जवाब आ तो गया।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, पूरा जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष–

आपकी किस बात का जवाब नहीं आया है, बताईये। आज अभी बहुत प्रश्न हैं।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने इतने चालान कर दिये हैं, चालान करने के बाद भी जो अवैध रूप में डेयरियाँ फिर संचालित हो रही हैं तो सरकार किस तरह की कार्यवाही कर रही है ?

श्री अध्यक्ष–

आपका जवाब माननीय मंत्री जी ने दे तो दिया है।

श्री खड़क सिंह बोहरा–

माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में पशुपालकों द्वारा पशुओं को दूध लेने के बाद आवारा छोड़ दिया जाता है। इससे बहुत विषम स्थिति पैदा होती है। वे आवारा पशु शहर में उत्पात मचाते रहते हैं और पर्यटकों को नुकसान पहुँचाते हैं। क्या सरकार इस बारे में कोई कार्यवाही करेगी?

श्री अध्यक्ष–

आपका यह अनुपूरक प्रश्न, मूल प्रश्न की परिधि में नहीं आता है।

श्री यशपाल बेनाम–

माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो हमारी 63 नगर पालिकायें हैं। एक नगर निगम और 32 नगर पालिकायें और 30 नगर पंचायतें हैं। तो इन सभी स्थानीय निकायों में से कितने स्थानीय निकायों में अपना कूड़ा निस्तारण के लिए ट्रैचिंग ग्राउण्ड की व्यवस्था नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

आपका यह अनुपूरक प्रश्न, मूल प्रश्न की परिधि में नहीं आता है।

श्री दिनेश अग्रवाल—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि डेयरी फार्मों द्वारा गंदगी फैलाये जाने से आस–पास का वातावरण प्रदूषित होता है तथा डेयरियों के कारण भयानक बीमारी फैलाये जाने का प्रकरण संज्ञान में नहीं है। किन्तु जो गोबर इत्यादि की समस्या है, जो सारा गोबर डेयरियों का नालियों में बह रहा है, उससे क्या प्रदूषण नहीं हो रहा है, क्या उससे बीमारियाँ फैलने का संकट नहीं हो रहा है ? दूसरी बात यह है कि क्या आपने कोई ऐसी व्यवस्था करने का उपाय किया है कि जो गोबर की स्थिति है, गोबर जहाँ पर इक्ट्ठा होता है, डेयरियाँ गोबर कहाँ पर रखेंगी, कैसे रखेंगी ? उसके लिए आपने कोई व्यवस्था बनाई है या कोई उपाय किया है ? कृपया बताने का कष्ट करें।

श्री मदन कौशिक—

माननीय सदस्य ने जानना चाहा कि इस प्रकार की जो शिकायतें, जैसा मैंने कहा कि 16 शिकायतें इस वर्ष हमें प्राप्त हुई, उन 16 शिकायतों पर हमने तत्काल कार्यवाही की है। इसके अलावा जो नालियों में गोबर डालने सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त हुई या हमारे अधिकारियों ने वहाँ पर जाकर जाँच की तो हमने 258(घ) के अन्तर्गत इस वर्ष 241 चालान किये हैं।

श्री गणेश जोशी—

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न कारगर कदम उठाने पर विचार करने के विषय में है, जिस पर मंत्री जी ने उत्तर दिया ''हाँ''। क्या डेयरियों को देहरादून शहर से बाहर ले जाने की योजना माननीय मंत्री जी के पास है ?

श्री मदन कौशिक—

मान्यवर, महायोजना वर्ष 2005–2025 के अन्तर्गत इन सभी डेयरियों को एक निश्चित स्थान पर ले जाने की व्यवस्था बनायी गयी है।

श्री दिनेश अग्रवाल—

मान्यवर, क्या वह स्थान चिन्हित हैं ?

श्री मदन कौशिक—

मान्यवर, हाँ, हमने जो महायोजना बनायी है, उसके अध्याय 7876 में दूध आपूर्ति के लिए निम्नलिखित प्राविधान किये गये हैं। रायपुर मार्ग पर स्थित आँचल डेयरी के भू–भाग को समाहित करते हुए लगभग 18.75 एकड़ भूमि विकास क्षेत्र में संतुलित रूप में विकसित किये जाने के उद्देश्य से आरक्षित की गयी है। इन दूध आपूर्ति केन्द्र के स्थलों में नगर क्षेत्र में विद्यमान समस्त डेयरियों को नगर क्षेत्र से स्थानान्तरित किये जाने के साथ ही केन्द्रों को स्थापित किये जाने का प्राविधान महायोजना में है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न का उत्तर आ गया है।

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, वह सही नहीं है। माननीय मंत्री जी ने जो कहा, आँचल डेयरी परिसर में इतना स्थान ही नहीं है। (मेजों की थपथपाहट) (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैंने आँचल डेयरी परिसर में नहीं कहा। मैं माननीय सदस्य को दोबारा यह बता देता हूँ, मैंने कहा रायपुर मार्ग पर आँचल डेयरी को समाहित करते हुए, मैंने वह भी उसमें समाहित किया है, तब 18.75 एकड़ जमीन है। (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, क्या शहर की सारी डेयरियों वहाँ पर जायेंगी ? (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इसी प्रकार हरिद्वार मार्ग पर आई0आई0पी0 के निकट उत्तर की ओर, चकराता मार्ग के, मिनी नदी के मध्य प्रेमनगर मार्ग पर, सहस्त्रधारा मार्ग पर डांडा लखोण्ड के दक्षिण में नालीवाला के दक्षिण तट की ओर यह हमने महायोजना में अलग–अलग लिया है।

हरिद्वार एवं देहरादून जनपद में कॉमर्शियल गैस सिलेण्डरों का वितरण, औद्योगिक इकाईयों में घरेलू गैस सिलेण्डर के उपयोग पर दण्डात्मक कार्यवाही

*3–श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून एवं हरिद्वार जनपद में कॉमर्शियल गैस सिलेण्डर की विगत छः महीनों में प्रत्येक पखवाड़े की आपूर्ति का विवरण क्या है ?

क्या यह सत्य है कि हरिद्वार एवं देहरादून में व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं औद्योगिक इकाईयों में घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग हो रहा है ?

यदि हाँ, तो इसके रोकथाम के लिए क्या उपाय किये गये हैं तथा विगत छः माह में कितने प्रतिष्ठानों/इकाईयों को दण्डित किया गया है ?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति राजस्व एवं भू–प्रबन्धन मंत्री (श्री दिवाकर भट्ट)–

जनपद देहरादून एवं हरिद्वार जनपद में विगत छः महीनों में व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों की प्रत्येक पखवाड़े की आपूर्ति का विवरण निम्न प्रकार हैः–

माह	प्रथम पखवाड़ा		द्वितीय पखवाड़ा	
	हरिद्वार	देहरादून	हरिद्वार	देहरादून
अगस्त, 09	4000	4100	4579	5017
सितम्बर, 09	4800	4029	4514	4500
अक्टूबर, 09	4897	4800	5300	5209
नवम्बर, 09	4900	4200	5266	5252
दिसम्बर, 09	4568	5230	6124	4430
जनवरी, 2010	4233	4929	3306	4032
योग	27398	27288	29089	28440

सामान्यतः नहीं अपितु कतिपय व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर आकस्मिक छापों के दौरान घरेलू गैस का व्यवसायिक उपयोग होता हुआ पाया गया।

घरेलू गैस के व्यवसायिक उपयोग रोकने के लिए प्रतिष्ठानों एवं औद्योगिक इकाईयों में आकस्मिक छापे मारने की कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है। विगत छः महीनों में दोनों जनपदों में 176 व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में छापे मारे गये, 84 प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस का व्यवसायिक उपयोग होता हुआ पाया गया। जिसमें से 05 प्रतिष्ठानों की प्रथम प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज की गई, 63 घरेलू सिलेण्डर जब्त किये गये, 23 प्रतिष्ठानों से रु0 25,400.00 (रु0 पच्चीस हजार चार सौ मात्र) अर्थदण्ड वसूल कर राजकोष में जमा कराया गया।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, इस प्रश्न के उत्तर में एक संशोधन केवल चाहिए क्योंकि लिपिक टंकण की गलती से जो घरेलू सिलेण्डर जब्त 63 उत्तर आया है, के स्थान पर 56 सिलेण्डर जब्त किये गये, जोड़ दें।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले माननीय खाद्य मंत्री उपस्थित थे। प्रश्नकाल का नम्बर आ रहा है तो वो उठकर चले गये, यह भी एक गम्भीर विषय है। खाद्य मंत्री पहले उपस्थित हों और जब प्रश्न का नम्बर आये, वह उठकर चले जायें। आप इसका भी संज्ञान लें, यदि कोई मंत्री इस तरह से चले जायें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इस प्रकार से यह जरूरी नहीं है, कोई भी मंत्री यहाँ पर उत्तर दे सकते हैं।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि कॉमर्शियल गैस कनैक्शन देहरादून और हरिद्वार जनपद में कितने हैं ? क्या इसके सापेक्ष कॉमर्शियल गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति हो रही है ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, इसमें जो सूची है, फरवरी, 2010 में 4 लाख 63 हजार 5 घरेलू थे और 6 हजार 379 ये व्यवसायिक थे। देहरादून में और हरिद्वार में कॉमर्शियल श्रीमन्, 2 हजार 712 थे।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

इनके सापेक्ष प्रति महीना आपूर्ति कितनी हो रही है?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, जनवरी 2010 में हरिद्वार में 2 हजार 712 कॉमर्शियल कनेक्शन के सापेक्ष 7 हजार 539 सिलेण्डर दिये गये और देहरादून में 6 हजार 246 उपभोक्ताओं ने 8 हजार 961 व्यवसायिक सिलेण्डरों का उपयोग किया।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उन्होंने माना है कि घरेलू गैस का उपयोग भी कुछ प्रतिष्ठानों द्वारा किया जा रहा है। उसमें छापे मारे गये और जो उत्तर आया है उसमें कहा गया है कि 84 प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस का उपयोग होता पाया गया। उन 84 में से मात्र 5 के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज हुई। पहला प्रश्न मेरा इसमें यह है कि जब 84 पकड़े गये हैं तो केवल 5 के खिलाफ एफ0आई0आर0 क्यों दर्ज की गयी, बाकी के खिलाफ क्यों नहीं की गयी ? अगर 1 माना जाय तो 1 पर 1 बैठता है तो 84 पर 84 हुआ, तो केवल 56 सिलेण्डर ही जब्त किये गये हैं ? बाकियों के खिलाफ क्या कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, इसमें जो कार्यवाही अंजाम दी गयी, उसमें हरिद्वार में 42 प्रतिष्ठानों में छापे मारे गये और इन प्रतिष्ठानों में दो व्यक्तियों पर अवैध संचरण कर जब्ती की कार्यवाही की गयी, और इस अवधि से पूर्व पकड़े गये सिलेण्डरों पर 3 हजार 400 रु0 का अर्थदण्ड वसूल किया गया। देहरादून में 134 स्थानों पर विगत छः महीने में छापे पड़े और इनमें 84 प्रतिष्ठानों में अनियमितता पाई गयी और 5 के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज हुई और 56 जब्ती हुई और 22 सिलेण्डरों से 22 हजार रु0 की धनराशि वसूल की गयी और 1 प्रकरण अवैध संचरण का पाया गया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य जो जानना चाह रहे हैं, वह बता दें।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, इसमें जो एफ0आई0आर0 की प्रक्रिया है, वह हमारे जो जिला पूर्ति अधिकारी हैं, उनके माध्यम से जो छापे डाले जाते हैं, उन छापों के गुण–दोष का निर्णय स्थानीय मजिस्ट्रेट करते हैं और जब वह अनुमति देते हैं तब उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाती है। मान्यवर, यह जो 56 सिलेण्डर जब्त किये गये और 22 को वहीं पर जुर्माना देकर छोड़ा गया, उनसे एक हजार रुपये जुर्माना वसूल किया गया तब 22 हजार रुपये जमा हुआ और एक प्रकरण अवैध पाया गया, सिलेण्डर ले जाते हुए पाया गया।

श्री दिनेश अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह जुर्माना करने की प्रक्रिया क्या है और जुर्माना करने का कोई मापदण्ड तय किया गया या नहीं ? मान्यवर, किस हिसाब से जुर्माना लिया जाता है या वह भी अधिकारी के विवेक पर लिया जाता है कि जो अधिकारी जितना चाहे ले, या इसका कोई मापदण्ड है?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इसके इशेन्शियल कमोडिटी एक्ट के प्रावधानों के सुसंगत नियमों के अनुसार जुर्माना किया जाता है।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, इशेन्शियल कमोडिटी एक्ट में प्रावधानित है कि कितना–कितना जुर्माना होगा ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जुर्माना का निर्धारण मजिस्ट्रेट का विवेकाधीन है और गिरफ्तारी तक जो भी प्रकरण निरस्तारित करना है, वह मजिस्ट्रेट के द्वारा होता है।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, आपने कहा कि मौके पर निर्धारण कर दिया गया और जहाँ मौके पर निर्धारण किया गया वहाँ पर मजिस्ट्रेट नहीं था।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, प्रक्रिया यह है कि एक हजार रुपया प्रति सिलेण्डर उनसे वसूल किया जाता है अगर वह प्रकरण गम्भीर अनियमितता का नहीं पाया गया। अगर सामान्य अनियमितता का है तो एक हजार रुपया लिया जाता है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, सामान्य अनियमितता कैसे हो सकती है, जब घरेलू सिलेण्डर का प्रयोग हुआ है तो सामान्य अनियमितता नहीं हो सकती है, प्रयोग नहीं कर सकता है। (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार संरक्षण दे रही है। मान्यवर, कॉमर्शियल में घरेलू गैस का उपयोग करने के लिए सरकार संरक्षण दे रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, सामान्य नहीं हो सकता है, सामान्य कैसे हो सकता है, जब घरेलू गैस का दुरूपयोग हो रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री सुरेन्द्र राकेश जी, आप अपने शब्दों के प्रयोग में कृपया ध्यान दें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह इशेंशियल कमोडिटी एक्ट है, इसके सुसंगत नियमों के प्राविधानों के आधार पर जुर्माने की व्यवस्था, उसकी गिरफ्तारी की व्यवस्था और उसकी एफ0आई0आर0 करने की व्यवस्था दी गई है, उन सभी प्राविधानों का विधिवत् उपयोग करते हुए ये सारे प्रकरण निस्तारित किये गये हैं जो अभी माननीय न्यायालय में विचाराधीन हैं।

जनपद देहरादून में सरकारी भूमि/नदी खालों पर अतिक्रमण एवं कब्जा हटाने हेतु कार्यवाही

*4–श्री गणेश जोशी–

क्या नगर विकास मंत्री अवगत हैं कि देहरादून जनपद में सरकारी भूमि/नदी खालों पर अतिक्रमण लगातार जारी है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे हटाने पर विचार करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

सूचना एकत्र की जा रही है।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में रसोई गैस आपूर्ति की व्यवस्था तथा इसके दुरूपयोग रोकने हेतु कृत कार्यवाही

*1–श्री प्रीतम सिंह–

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में रसोई गैस की आपूर्ति सुचारू रूप से की जा रही है?

यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वर्तमान में प्रदेश में कॉमर्शियल गैस कनैक्शनों की क्या स्थिति है ?

क्या यह सत्य है कि प्रदेश में घरेलू गैस की आपूर्ति कॉमर्शियल गैस के स्थान पर हो रही है ?

यदि हाँ, तो इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड राज्य में वर्तमान में 20303 कॉमर्शियल गैस कनैक्शन प्रचलित हैं।

सामान्य नहीं, अपितु कतिपय व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर आकस्मिक छापों के दौरान घरेलू गैस का व्यवसायिक उपयोग होता हुआ पाया गया।

घरेलू गैस के व्यवसायिक उपयोग को रोकने के लिए समय–समय पर व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर आकस्मिक छापे मारने की कार्यवाही की जाती है। वित्तीय वर्ष 2009–10 में अब तक पूरे राज्य में 2033 आकस्मिक छापे मारे गये, इन छापों में 1517 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त कर 27 प्रथम प्राथमिकी दर्ज की गई 17 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर रु0 3,56,427.00 (रु0 तीन लाख छप्पन हजार चार सौ सत्ताईस मात्र) अर्थदण्ड के रूप में वसूल कर राजकोष मे जमा किये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि प्रदेश में कॉमर्शियल गैस की वार्षिक आपूर्ति कितनी है ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, प्रतिवर्ष अलग–अलग आँकड़ा है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, वर्ष, 2009 का बता दें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, वर्ष 2009 में 2 लाख 66 हजार 797 सिलेण्डरों की आपूर्ति हुई है।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाह रहा हूँ कि घरेलू सिलेण्डर और कॉमर्शियल सिलेण्डरों के मूल्यों में क्या अन्तर है, एक तो यह प्रश्न है और दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपने अपने उत्तर में लिखा है कि 27 प्राथमिकी दर्ज की गई और 1517 घरेलू सिलेण्डर जब्त किये गये हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाह रहा हूँ कि जो 27 प्राथमिकी दर्ज की गई है, उसमें ही 1517 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किये गये या अन्य छापामारी में भी किये गये हैं ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जहाँ तक घरेलू और व्यवसायिक सिलेण्डरों में अन्तर का प्रश्न है तो माननीय अध्यक्ष जी, इसमें जो व्यावसायिक सिलेण्डर हैं, उनका वजन 19 किग्रा0 होता है और प्रति सिलेण्डर गैस का मूल्य रु0 1079.40 होता है और घरेलू गैस का मूल्य रु0 309.25 प्रति सिलेण्डर एजेंसी पर है। इसके साथ–साथ जहाँ तक छापे का प्रश्न है, यदि आप वर्षवार इसकी जानकारी चाहेंगे तो मैं उपलब्ध करा दूँगा।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं वर्षवार जानकारी नहीं जानना चाहता हूँ। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो आपने लिखा है कि वित्तीय वर्ष 2009–2010 में 2033 छापे मारे गये, जिसमें से 1517 गैस सिलेण्डर जब्त कर 27 एफ0आई0आर0 दर्ज की गई है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि 1517 सिलेण्डर जो जब्त किये गये क्या वह जो 27 प्राथमिकी आपने दर्ज की है, क्या यह इसी से प्राप्त हुई है ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, वर्ष 2009–2010 में जनवरी तक 2033 आकस्मिक छापे और निरीक्षण किये गये और इस दौरान जो व्यवसायिक उपयोग में घरेलू गैस का उपयोग कर रहे थे, इनमें 1397 प्रकरण पाये गये और इनमें हमने 1517 अवैध घरेलू गैस सिलेण्डर बरामद किये और 27 के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज की गयी और 17 की गिरफ्तारी हुई और 356427 रुपये अर्थदण्ड के रूप में वसूल किया गया। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो 1517 घरेलू सिलेण्डर जो आपने जब्त किये। क्या जो 27 प्राथमिकी आपने दर्ज करायी है, उनसे ही यह रिकबरी हुई है ? (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, ये जो 27 प्राथमिकी दर्ज करायी हैं, जो ऐसे गम्भीर प्रकरण होते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य, आप पहले पूरा उत्तर आने दें।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, हमें आपका संरक्षण चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य, आप पहले पूरा उत्तर तो आने दें, बीच में आप प्रश्न कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

श्रीमन्, मैं जो प्रश्न कर रहा हूँ, उसका उत्तर माननीय मंत्री जी नहीं दे पा रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो 1517 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किये, क्या जो 27 प्राथमिकी दर्ज हुई है, उन्हीं से यह वसूली हुई है ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, 1517 गैस सिलेण्डर जब्त हुए हैं। इसमें जो गम्भीर तरह से प्रकरण थे, उनके विरूद्ध 27 एफ0आई0आर0 दर्ज हुई है।

श्री प्रीतम सिंह–

श्रीमन्, मैं कह रहा हूँ कि जो 27 एफ0आई0आर0 दर्ज की गयी हैं, क्या उन्हीं के माध्यम से 1517 सिलेण्डर जब्त हुए हैं ? या अन्य से भी हुए हैं ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, जो 27 एफ0आई0आर0 दर्ज हुई, वह इसी के अन्तर्गत शामिल हैं और अभी 17 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं गिरफ्तारी की बात नहीं कर रहा हूँ। माननीय खाद्य मंत्री जी होते तो शायद उनको ज्यादा जानकारी होती, वे अभी हमें मिले भी थे। सारी जिम्मेदारी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी पर आ गयी है, यह संयुक्त जिम्मेदारी है, इसको मैं समझ रहा हूँ। मेरा साधारण सा प्रश्न है कि क्या जो 27 एफ0आई0आर0 दर्ज की गयी है, क्या उनसे ही 1517 सिलेण्डर जब्त हुए हैं ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी बता रहे हैं कि अन्यों से भी की गयी है।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, जो 1397 प्रकरण पकड़े गये, इन छापों में से 1517 सिलेण्डर उनके यहाँ पाये गये। इसमें हमने जो अन्य सिलेण्डर जब्त किये, इसके साथ–साथ हमने 27 के खिलाफ जो गम्भीर प्रकरण थे, उनके खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज की और 17 लोगों की गिरफ्तारी भी की। इसके साथ–साथ हमने 356427 रु0 वसूल भी किया है। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, यह तो उत्तर में लिखा है, मैंने भी पढ़ा। लेकिन मुझे तारांकित प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार है, इसलिए आपका संरक्षण चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

कितने अनुपूरक पूछेंगे आप ?

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक ही अनुपूरक प्रश्न पूछ रहा हूँ लेकिन ट्रेजरी बैंच से उसका उत्तर नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ ? (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, उत्तर तो आ गया। 27 लोगो के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज हुई और 1517 सिलेण्डर जब्त हुए। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि 27 लोग, जिनके खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज हुई, उनसे कितने सिलेण्डर बरामद हुए? यह मैं साधारण सा प्रश्न पूछ रहा हूँ, माननीय मंत्री जी इसका जवाब नहीं दे पा रहे। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इनके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है और मुकदमा कायम हो गया है। (व्यवधान) 1517 सिलेण्डर जब्त हुए हैं।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं बिल्कुल साधारण प्रश्न पूछ रहा हूँ। (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल—

मान्यवर, जिन 27 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी, उनसे कितने सिलेण्डर बरामद किये गये ? आप इसका उत्तर दे दें। (व्यवधान) यह तो बहुत सीधा प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त—

मान्यवर, 1517 सिलेण्डर जब्त किये गये। मैंने बता तो दिया। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, यह तो बहुत गम्भीर बात है। मैं बहुत साधारण सा प्रश्न पूछ रहा हूँ, इसका उत्तर नहीं आ रहा। मैं यह पूछ रहा हूँ कि जो 27 एफ0आई0आर0 आपने दर्ज की, उनसे कितने सिलेण्डर बरामद किये ? इसका उत्तर माननीय मंत्री जी दे दें।

श्री प्रकाश पन्त—

श्रीमन्, मैं पृथक् से इसमें अलग—अलग संख्या की जानकारी दे दूँगा। (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल—

मान्यवर, पृथक् से क्यों देंगे ? यह गम्भीर प्रश्न है, इसको स्थगित किया जाय। (व्यवधान) सरकार को यह मालूम ही नहीं है कि कितने सिलेण्डर जब्त हुए। (व्यवधान) यह बहुत गम्भीर विषय है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) माननीय मंत्री जी, कृपया इतना बता दीजिए कि जो 27 प्रकरण आपके सामने आए, उनसे कितने सिलेण्डर आपने जब्त किये ?

श्री प्रकाश पन्त—

श्रीमन्, 1517 सिलेण्डर। (व्यवधान) 1397 प्रकरणों में निरीक्षण किया गया, उनमें 1517 सिलेण्डर जब्त किये गये। उनमें 27 के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज की गयी और 17 व्यक्तियों को गिरफ्तारी किया गया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अब क्या चाहते हैं ? उत्तर आ तो गया। (व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या—2 पर माननीय सदस्य श्री शेर सिंह गढ़िया का नाम पुकारे जाने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी माननीय सदस्य तथा बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य चौ0 यशवीर सिंह 'वेल' में आकर अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(''वेल'' में खड़े माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर जाकर बैठ गये।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी यह बता दें कि इन 27 प्रकरणों में आपने कितने सिलेण्डर जब किये ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, इतनी डिटेल अभी है नहीं। यदि अनुमति दें तो मैं इसके सम्बन्ध में माननीय सदस्य को अवगत करा दूँगा। (व्यवधान)

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, जिन 27 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उनके यहाँ कितने सिलेण्डर पकड़े गये ? यह तो जानकारी होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, इससे गम्भीर कोई दूसरा विषय हो नहीं सकता। मैंने मूल प्रश्न से बाहर का कोई प्रश्न नहीं पूछा। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, क्या पर्ची आने का इंतजार कर रहे हैं। अगर ऐसे ही सदन चलाना है तो फिर हम सदन में आए ही क्यों हैं ?

श्री अध्यक्ष–

आप आ जाईये, फिर यहाँ पर सदन चलाने के लिए।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं जानकारी दे रहा हूँ। 27 एफ0आई0आर0 जो दर्ज हुई हैं, उनसे 821 सिलेण्डर जब्त किये गये।

प्रदेश के पर्वतीय जिलों में आवश्यकता के सापेक्ष खाद्यान्न की आपूर्ति तथा कोटे के अनुरूप आवंटन

*2–श्री शेर सिंह–

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के पर्वतीय जिलों में जिलेवार कुल कितने खाद्यान्न की वर्तमान में आवश्यकता है तथा सापेक्ष कितना खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि चीनी/चावल निर्धारित कोटे के अनुरूप आवंटन किया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो जनपदवार मासिक आवंटन का विवरण क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

पर्वतीय जनपदों में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 54687.546 मी0टन प्रतिमाह खाद्यान्न (गेहूँ/चावल) की आवश्यकता है। वर्तमान में उक्त आवश्यकता के सापेक्ष 27253.946 मी0टन खाद्यान्न (गेहूँ/चावल) उपलब्ध कराया जा रहा है।

चीनी का आवंटन भारत सरकार के आवंटन के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा चीनी जनपदों को आवंटित की जा रही है, किन्तु चीनी मिलों में लेवी अंश न होने के कारण आवंटन के अनुरूप चीनी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ए0पी0एल0 योजनान्तर्गत मांग के अनुरूप भारत सरकार के आवंटन प्राप्त न होने के कारण चावल की आपूर्ति अत्यधिक कम हो रही है।

खाद्यान्न विवरण निर्धारित प्रारूप में संलग्न हैं।†

प्रश्न नहीं उठता।

श्री शेर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता था कि वर्तमान में विभिन्न जनपदों में जो खाद्यान्न की आवश्यकता है, उसके सापेक्ष कितना खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है ? लेकिन यहाँ पर जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं, उससे स्पष्ट हो रहा है कि जो जनपद का कोटा है, उसका एक तिहाई खाद्यान्न का आवंटन नहीं किया जा रहा है। इसका क्या कारण है, वह भी उत्तर में स्पष्ट नहीं है और उसके अलावा जो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है, वह क्या सुचारू रूप से उपभोक्ता तक पहुँच रहा है, इसकी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा चीनी के विषय में बताया गया है। चीनी के कोटे का आवंटन लेवी अंश न होने के कारण नहीं दी जा रही है, तो यह लेवी का अंश कब होगा, इसकी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, वर्तमान में उत्तराखण्ड में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू है, उसमें 3 प्रकार से खाद्यान्न वितरण किया जाता है। जिसमें ए0पी0एल0, बी0पी0एल0 और अन्त्योदय शामिल हैं। मान्यवर, ए0पी0एल0 योजना के अन्तर्गत 20 किलोग्राम गेहूँ और 15 किलोग्राम चावल प्रति राशन कार्ड दिये जाने का प्राविधान है। बी0पी0एल0 योजना के अन्तर्गत 10.250 किलोग्राम गेहूँ और 24.750 किलोग्राम चावल प्रतिमाह, प्रतिकार्ड में दिये जाने का प्राविधान है।

---

† (देखिए संलग्नक नत्थी 'क' आगे पृष्ठ संख्या–63–64 पर)

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, चीनी का भी बता दीजिये।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी का पूरा उत्तर आ जाने दीजिये।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत 10.460 किलोग्राम गेहूँ और 24.540 किलोग्राम चावल प्रतिकार्ड, प्रतिमाह दिये जाने का प्राविधान है। मान्यवर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज्य में वर्तमान तक जो प्रचलित राशन कार्ड हैं, वह 22 लाख, 73 हजार, 494 ए0पी0एल0 के हैं तथा 17 लाख, 75 हजार, 494 बी0पी0एल0 के और 3 लाख, 46 हजार, 760 राशन कार्ड अन्त्योदय योजना के हैं। इस प्रकार से वर्तमान में राज्य को 41 हजार 135 मीट्रिक टन गेहूँ और 38 हजार, 438 मीट्रिक टन चावल की आवश्यकता है, इन राशन कार्डों के हिसाब से। उक्त आवश्कता के विरूद्व भारत सरकार द्वारा मात्र 20,390.77 मीट्रिक टन गेहूँ और 14,130.23 मीट्रिक टन चावल का आवंटन किया जा रहा है और बी0पी0एल0 और अन्त्योदय योजना के लाभार्थियों के लिए आवश्यकतानुसार खाद्यान्न आवंटित किया जा रहा है। जिसमें हमें ए0पी0एल0 योजना में 20,744.23 मीट्रिक टन गेहूँ और 24,307.77 मीट्रिक टन चावल कम आवंटित हो रहा है।

मान्यवर, चीनी की स्थिति यह है कि भारत सरकार ने वर्ष 2009 में जो चीनी हमें आवंटित की थी, वह वर्ष 2009 से 2010 तक राज्य को कुल 63,811 मीट्रिक टन लेवी चीनी का आवंटन किया गया था। परन्तु चीनी मिलों में लेवी अंश उपलब्ध न होने के कारण 25,240.90 मीट्रिक टन चीनी उपलब्ध हो पाई। इस प्रकार 38570.10 मीट्रिक टन लेवी चीनी राज्य को उपलब्ध नहीं हो पाई। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2009–10 में माह जनवरी, 2010 तक 4 माह के मासिक आवंटन के बराबर लेवी चीनी हमें उपलब्ध नहीं हो पाई है। इसी कारणवश पर्वतीय जनपदों के राशन कार्ड धारकों को निर्धारित मानकानुसार चीनी उपलब्ध नहीं हो पा रही है।

श्री शेर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न यह था कि जो लेवी का कोटा उपलब्ध नहीं है, ये कब तक आवंटित किया जायेगा और दूसरा जो निर्धारित कोटे के अनुरूप खाद्यान्न जो पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं गया, इसके लिए सरकार ने क्या सार्थक प्रयास किये हैं ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, हमारी ये मजबूरी है कि भारत सरकार जब तक हमको आवंटन जारी नहीं करेगी, तब तक हम अपने स्तर से गेहूँ, चावल, चीनी ए0पी0एल0 कार्डधारकों को अवमुक्त करने की स्थिति में नहीं होंगे।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अभी अपने उत्तर में कहा कि भारत सरकार से बी0पी0एल0 और अन्त्योदय के लिए अगर राशन उपलब्ध नहीं होगा तो राज्य सरकार अपने स्तर से इसमें कोई कार्यवाही नहीं कर सकती। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अन्त्योदय और बी0पी0एल0 का कितना बैकलॉग है ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, अन्त्योदय और बी0पी0एल0 में तो पूर्ण है और केवल चीनी में हमको दिक्कत है। चीनी तो सबके लिए समान है न। (व्यवधान) मैं चीनी की बात कर रहा हूं। ए0पी0एल0, बी0पी0एल0 और अन्त्योदय में चीनी हमको जब तक वहां से आवंटन नहीं होगा, हम नहीं दे पायेंगे। अन्त्योदय और बी0पी0एल0 का राशन पूरा मिल रहा है। ए0पी0एल0 के राशन में सार्टेज है।

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा हूं कि भारत सरकार द्वारा राशन आवंटन, जिसकी पर्याप्त पूर्ति नहीं हो पा रही है तो उसके लिए जो डिफरेंस है, उसमें प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार से इस बारे में क्या–क्या प्रयास किये गये हैं ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में भारत सरकार से लगातार प्रयास हो रहे हैं। श्रीमन्, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने स्तर से वार्ता की है और जो हमारे माननीय खाद्य मंत्री जी हैं, वो लगातार सम्पर्क में हैं और प्रयास किया जा रहा है कि अपने राज्य की स्थिति के हिसाब से हमें जो अपेक्षित कोटा है, हमारे राशन कार्ड के हिसाब से वो अवमुक्त हो।

श्री शेर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, चीनी का जो कोटे का आवंटन लेवी अंश नहीं होने के कारण बताया गया है, तो इसका निर्धारण कब होगा ? मैं ये जानना चाहता हूं।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, हम भारत सरकार से सम्पर्क कर रहे हैं। 38 हजार 570 मीट्रिक टन लेवी चीनी राज्य को उपलब्ध नहीं हो पायी है, जिसके कारण हम अभी वर्तमान में चीनी केवल, जो चीनी हमारे पास है, वो 700 ग्राम प्रति यूनिट के हिसाब से हमारे पास उपलब्ध है और अगर हम पूरे वर्ष भर का आंकड़ा लगाएं तो चार महीने का हमें सार्टेज है, चार महीने की चीनी हमारे पास सार्टेज है।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि हर बार की तरह इस बार भी केन्द्र सरकार ने कुम्भ के लिए अलग से खाद्यान्न का आवंटन किया है और पिछले वर्षों का ये उदाहरण रहा है कि हमेशा कुम्भ के बाद राशन बच जाता है, उसे भारत सरकार वापस ले लेती है। क्या इस वर्ष भी अगर अनुमान के हिसाब से ये बचत है तो जितना राशन बचेगा, उसको जिन जनपदों में इसकी आपूर्ति नहीं हो पायी है तो क्या भारत सरकार से यह आग्रह करेंगे कि उन जनपदों में इसकी आपूर्ति की जायेगी ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, हम लगातार भारत सरकार के सम्पर्क में हैं और हमारा प्रयास है कि जो हमारा बैकलॉग है, जो हमारी कमी है, उस कमी को पूरा किया जाय।

उत्तराखण्ड के मैदानी एवं पर्वतीय जिलों में चकबन्दी प्रक्रिया का आरम्भ

*3–श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड के मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में चकबन्दी प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है ?

यदि नहीं, तो क्या सरकार चकबन्दी प्रक्रिया प्रारम्भ करेगी ?

श्री दिवाकर भट्ट–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में चकबन्दी प्रारम्भ कर दी गयी है। तो नम्बर–1, मैं जानना चाहता हूं कि किस–किस जनपद में पर्वतीय क्षेत्र में चकबन्दी प्रारम्भ की गयी है ? नम्बर–2, क्या चकबन्दी विभाग का ढांचा बनकर उत्तराखण्ड में तैयार हो गया है या उत्तर प्रदेश के भरोसे ही चकबन्दी की जा रही है ?

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, राज्य सरकार ने यह अनुभव किया कि राज्य के मैदानी जनपद ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार की भांति चकबन्दी के जो लाभकारी परिणाम निकले हैं और

उसके साथ–साथ जो उत्तरकाशी में खरसाली और बीफ, जिसके माननीय केदार सिंह रावत जी सदस्य हैं, वो दृष्टा और साक्षी हैं और उसके लाभकारी परिणामों के उत्साहवर्धक जो परिणाम परिलक्षित हुए हैं, उसको देखते हुए श्रीमन्, ये विचार किया गया, सम्यक् विचारोपरान्त ये निर्णय लिया गया कि मान्यवर, इस कार्य की रूप–रेखा बनाने, उसके क्रियान्वयन, सम्पादन और अनुश्रवण के लिए नीति निर्धारण के उद्देश्य से दिनांक 20 फरवरी, 2009 को माननीय श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत जी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई और समिति का कार्य श्रीमन्, विषय विशेषज्ञों को समिति के सहायतार्थ आमंत्रित कर यह स्वैच्छिक चकबंदी के लिए प्रोत्साहित करना और जहां पर आवश्यकता हो, मांग हो, ऐसे स्थानों पर स्वैच्छिक चकबन्दी को प्रोत्साहन के उद्देश्य से यह प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है। इसी के साथ–साथ जो व्यवस्था की गई, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में चकबन्दी किये जाने की मांग किसानों, जनप्रतिनिधियों अन्य स्तरों से शासन को प्राप्त हो रही थी, इसके चलते हुए ये कार्यवाही की गई है। इसके सफल क्रियान्वयन के लिए ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत के प्रधान की अध्यक्षता में एक समिति के गठन करने को भी अनुमति प्रदान की गई, इस समिति के गठन में, हमने ग्राम पंचायत के सभी प्रतिनिधियों का उचित प्रतिनिधित्व इसमें रखा है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जो प्रश्न किया है, उसका उत्तर माननीय मंत्री जी दें। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मुझे बताने तो दीजिए। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी कहानी पढ़ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपके प्रश्न का ही तो उत्तर दे रहा हूं। मैंने सम्पूर्ण पर्वतीय जनपद तो बोला। सम्पूर्ण पर्वतीय जनपद में जहां–जहां मांग आयेगी वहां किया जायेगा और उसके लिए हमने समिति बना दी है, समिति परीक्षण कर रही है, परीक्षण के उपरान्त जहां मांग आयेगी, वहां किया जायेगा।

श्री सुरेन्द्र राकेश—

मान्यवर, मेरा प्रश्न था कि यह किस–किस जनपद में प्रारम्भ की गई, दूसरा क्या चकबन्दी विभाग का गठन कर दिया गया है, तीसरा चकबन्दी विभाग का गठन कब तक कर लिया जायेगा ?

श्री प्रकाश पन्त—

श्रीमन्, मैं उत्तर तो दे रहा हूं, आप उत्तर तो देने नहीं दे रहे हैं, आप इतना उतावलापन क्यों दिखा रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको इतनी जल्दी किस बात की है। श्रीमन्, इस समय हमारी जो स्वैच्छिक चकबन्दी प्रक्रिया चल रही है, स्वैच्छिक चकबंदी प्रक्रिया को राजस्व विभाग के कार्मिक और चकबन्दी विभाग के कर्मचारियों द्वारा सम्मिलित रूप से कार्य किया जा रहा है। उसका जो पुराना ढांचा है, जो अविभाजित उत्तर प्रदेश से हमको प्राप्त हुआ था, वह ढांचा वर्तमान में कार्य कर रहा है और नये ढांचे के सम्बन्ध में विचार हो रहा है।

श्री तिलक राज बेहड़—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश के अन्दर ऐसी कितनी तहसीलें हैं, जिनके अन्दर चकबन्दी प्रक्रिया चालू है ? दूसरा ऐसी कितनी तहसीलें हैं, जिनके अन्दर चकबन्दी प्रक्रिया पूरी हो चुकी हैं और ऐसी कितनी तहसीलें हैं, जिनकी चकबन्दी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनके दस्तावेज तहसीलों में वापस जमा हो चुके हैं, जहां नहीं हुई हैं, कब तक पूरी हो जायेंगी ?

श्री प्रकाश पन्त—

श्रीमन्, ऊधमसिंह नगर की जानकारी चाह रहे हैं ?

श्री तिलक राज बेहड़—

मान्यवर, मैं पूरे प्रदेश की जानकारी चाह रहा हूं ?

श्री प्रकाश पन्त—

मान्यवर, जनपद ऊधमसिंह नगर में किच्छा तहसील में 85 गांव, जिनमें चकबन्दी पूर्ण हो चुकी है, 68 गांव, जो धारा–9 के अन्तर्गत डि नोटीफाइ हो चुके हैं, 09 गांव, 08 ग्राम, जिनमें काम चल रहा है। (व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़—

मान्यवर, कब शुरू हुई 85 गांवों की चकबन्दी की प्रक्रिया, इसमें इतने साल लग गये, बाकी गांवों में जिनमें चकबन्दी चल रही है मान्यवर, वहां के किसानों का शोषण हो रहा है। आज तक वहां के किसानों की चकबन्दी न होने के कारण चोर भी जाते हैं,

डकैत भी जाते हैं। किसानों से सारे का सारा माल और पैसा ले लिया जाता है। उस पैसे को तहसील से लोग ले जाते हैं और आज तक चकबन्दी पूरी नहीं हुई है। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, आप जो सवाल पूछ रहे हैं, उसका उत्तर तो आ जाने दीजिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, जवाब दें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, माननीय सदस्य क्या सवाल पूछ रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय बेहड़ जी, आप प्रश्न तो बताइये कि आप क्या जानना चाह रहे हैं ?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, तहसीलों की संख्या बता दें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी बता तो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं तहसीलों की संख्या बता तो रहा हूं। पांच तहसीलें ऊधमसिंह नगर में, एक चम्पावत जिले में, एक तहसील नैनीताल जिले में और तीन तहसीलें हरिद्वार जिले में हैं।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह तो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, प्रदेश की कोई ऐसी तहसील है, जिसमें चकबन्दी की प्रक्रिया पूरी हो गई हो ? इतने सालों से चल रही है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं कह तो रहा हूं कि यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है।

श्री तिलक राज बेहड़–

कोई ऐसी तहसील है, जिसके अन्दर चकबन्दी की प्रक्रिया पूरी हो गई हो ? इतने वर्षों से चल रही है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, गदरपुर तहसील में एक गांव लिया गया है, जिसमें चकबन्दी की प्रक्रिया पूरी हो गई है।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, गदरपुर तहसील में एक गांव। मान्यवर, यह तो सूचना ही गलत है। गदरपुर तहसील में तो कई गांव होंगे। मैं तहसील़ पूछ रहा हूं, जिसमें चकबन्दी प्रक्रिया पूरी हो गई हो। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, यह निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। कैसे हम कह दें कि पूरी हो गई है। आज कोई आपत्ति कर रहा है तो उसकी आपत्ति की सुनवाई हो रही है। कई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होंगे, तो प्रक्रिया को कैसे पूरी मान लेंगे। (व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, आज किसान बहुत परेशान है। किसान चकबन्दी का चक्कर काटता है। खसरा खतौनी लेनी होती है, आज किसान का शोषण हो रहा है और सरकार कह रही है कि यह निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जहां कोई आपत्ति है तो आपत्ति दर्ज कराई जाए। डिनोटिफिकेशन के लिए आपत्ति दर्ज करायें।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, यह तो अधूरा उत्तर है। सरकार के पास कोई रिकार्ड नहीं है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, किसी गांव में चकबन्दी प्रारम्भ होने के कितने समय बाद चकबन्दी पूर्ण हो जानी चाहिए, क्या समयबद्ध तरीके से गांवों में चकबन्दी पूर्ण हो जाती है ? क्या ऐसे भी गांव हैं जहां चकबन्दी प्रारम्भ होने के 15 साल बाद भी चकबन्दी पूर्ण नहीं हो पाई ? हरिद्वार जनपद में ऐसे कितने गांव हैं ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, हरिद्वार जनपद में 639 गांवों को चकबन्दी के अन्दर सम्मिलित किये जाने की प्रक्रिया चल रही है। जिसके अन्तर्गत 579 गांव सम्मिलित किये गये हैं। 257 गांवों में चकबन्दी पूरी हो चुकी है। 171 गांवों में जनविरोध के कारण इन गांवों को वापस लिये जाने की प्रक्रिया की गई, और तहसीलों को भेजे गये कुल गांवों की संख्या 426 है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मैं यह जानना चाह रहा हूं कि ऐसे कितने गांव हैं, जिसमें 15 साल से ज्यादा लगातार चकबन्दी प्रक्रिया चल रही है ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, चकबन्दी की प्रक्रिया तो एक सतत प्रक्रिया है। (व्यवधान) इसको हम कैसे बता देंगे कि 15 साल से ज्यादा या 20 साल से ज्यादा। यह तो अनावश्यक समय जाया करने के लिए इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, कितने समय में चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण हो जानी चाहिए ? ऐसे बहुत से गांव हैं, जहां चकबन्दी अधिकारी चकबन्दी की प्रक्रिया को बाधित कर रहे हैं, वे अपने ही आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी बता तो रहे हैं, यह निरन्तर प्रक्रिया है। एक्ट में कहीं प्रोविजन है और उसका उल्लंघन हो रहा है, तो बतायें। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, बता तो रहा हूं कि एक्ट में यह प्रोविजन है कि गांव की चकबन्दी पांच साल में पूर्ण हो जानी चाहिए और मैं कह रहा हूं कि ऐसे बहुत से गांव हैं, जहां चकबन्दी की प्रक्रिया प्रारम्भ हुए 15 साल हो गये हैं किन्तु चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है। (व्यवधान) मान्यवर, एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, जिन अधिकारियों द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है, क्या सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही कर रही है ? मैं यह जानना चाह रहा हूं।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यदि कोई स्पेसिफिक प्रकरण माननीय सदस्य के संज्ञान में हो तो बता दें, अन्यथा तो यह प्रक्रिया निरन्तर चल रही है। (व्यवधान) श्रीमन्, जो जोत चकबन्दी 1953 है, इसकी सुसंगत धाराओं के आधार पर ..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग थोड़ा बात सुन तो लें।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मेरा सीधा सा सवाल था कि किसी गांव में चकबन्दी प्रारम्भ होने के कितने समय तक पूर्ण हो जानी चाहिए ? माननीय मंत्री जी ने उत्तर नहीं दिया, मैं उसका उत्तर बता रहा हूं कि इसका प्राविधान है, पांच साल में पूरा हो जाना चाहिए। मान्यवर, दूसरा प्रश्न किया की पांच साल से ज्यादा पन्द्रह साल तक गांव में चकबन्दी प्रक्रिया हो रही है, यानी पन्द्रह साल हो गये हैं, जो पूर्ण नहीं हो रही है। हरिद्वार जनपद में ऐसे कितने गांव हैं, जिनमें चकबन्दी की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है और माननीय मंत्री जी प्रश्न को उलझा रहे हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, प्रत्येक बीस वर्ष के बाद विज्ञप्ति जारी की जाती है और विशेष परिस्थितियों में दस वर्ष के अन्दर में भी विज्ञप्ति जारी हो सकती है। मान्यवर, यह निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, क्यों पन्द्रह साल तक लटकायी जा रही है ?

कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''–

मान्यवर, प्रश्नकाल का प्रश्न ऐसी विषय वस्तु है, जिसमें वस्तुस्थिति नहीं आ रही है, प्रश्नकाल का हनन हो रहा है। मान्यवर, इसको स्थगित किया जाय और इस पर चर्चा करायी जाय। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लिखित रूप में दे दीजिए, इस पर चर्चा करायी जायेगी। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान) इसे स्थगित नहीं किया जा सकता है, चूंकि इसका उत्तर आ चुका है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार स्वयं इस विषय पर चिन्तित है। इस विषय का शीघ्र निस्तारण करने के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में समिति बनायी है। इस प्रक्रिया को सरलीकृत किया जाय, जिससे किसानों का शोषण न हो। इस सरलीकृत के माध्यम से किसानों का शोषण न हो, इस पर हम स्वयं चिन्तित हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, इस प्रश्न को स्थगित किया जाय। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, किस कारण से इसको स्थगित किया जाय ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

दोनों चीजें साथ–साथ नहीं हो सकती हैं। आप चर्चा चाहते हैं तो लिखित में दे दें, इस पर चर्चा करायी जायेगी, स्थगित कैसे किया जाय, इसका उत्तर तो आ गया है।

महाकुम्भ हरिद्वार में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान आवंटन हेतु सरकारी नीति

*4–श्री प्रीतम सिंह–

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि महाकुम्भ हरिद्वार में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान आवंटन की सरकार द्वारा कोई नीति बनाई गई थी ?

यदि हाँ, तो क्या महाकुम्भ में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों का आवंटन तदनुसार किया गया ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

महाकुम्भ में उचित दर की दुकानों के आवंटन के लिये पृथक से कोई नीति निर्गत नहीं की गई है। वर्तमान में शहरी क्षेत्रों में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के आवंटन सम्बन्धी प्रचलित शासनादेशों के आधार पर मेलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा अपर मेलाधिकारी, हरिद्वार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर कुम्भ मेले में उचित दर की दुकानों का आवंटन किया गया।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि महाकुम्भ में हरिद्वार जनपद के अन्तर्गत कुल कितनी दुकानों का आवंटन होना था और उसके लिए कब विज्ञप्ति जारी की गयी और कितनी जनसंख्या पर दुकानों का आवंटन किया गया ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, दिनांक 8 जनवरी, 2010 को कुम्भ मेले के क्षेत्रान्तर्गत 128 अस्थाई उचित दर विक्रेताओं की सूची जारी हुई जिसमें विभिन्न सैक्टरों में, अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो मैं दे देता हूं। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ यह जानना चाह रहा हूं कि महाकुम्भ मेले के लिए जो सस्ते गल्ले की दुकानों का आवंटन होता है। एक तो मैं यह जानना चाह रहा हूं कि कुल कितनी दुकानों का आवंटन होना है इसके लिए कब विज्ञप्ति जारी की गयी और विज्ञप्ति जारी करने के बाद कितने प्रार्थना–पत्र आपको उपलब्ध हुए और कितनी जनसंख्या पर दुकानों का आवंटन हुआ ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, दुकानें तो सेक्टर वाईज दी गयी हैं। जो सेक्टर बनाये थे, उनमें 128 अस्थायी उचित दर की दुकानों का आवंटन किया गया। जिसमें मायापुर सेक्टर में 7, लाल तप्पड़ में सात।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं यह जानकारी नहीं चाह रहा हूं। मैं विस्तृत प्रश्न उत्तर नहीं चाह रहा, इसमें होता क्या है कि आप पढ़ लेते हैं और उधर से जवाब आ जाता है उतनी देर में। मैं यह जानना चाह रहा हूं कि विज्ञप्ति कब जारी की गयी, कितने प्रार्थना–पत्र आए और कितनी जनसंख्या पर ये आवंटित किये गये ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मेलाधिकारी के माध्यम से दिनांक 8–1–2010 को 128 दुकानों की उचित दर सस्ते गल्ले की दुकानों की सूची जारी की गयी। श्रीमन्, इसमें मुझे आप बताने नहीं दे रहे हैं आप थोड़ी देर बैठ जाइये, मैं पूरी जानकारी दे रहा हूं। आप जल्दबाजी कर रहे हैं।

श्री प्रीतम सिंह–

मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, आप मेरे प्रश्न का उत्तर तो बताइये।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, इसमें दिनांक 30 जनवरी, 2010 द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। आप मुझे बताने तो दीजिए, आप ये कैसे विचार कर लें रहे हैं कि मेरे पास जानकारी नहीं होगी। (व्यवधान) 471 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, 13 आवेदन पत्र विविध व्यवसाय के, 2 आवेदन पत्र उत्तर प्रदेश के राज्य पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं किये गये। 128 आवेदन पत्रों के दुकानों में से 21 अनुसूचित जाति, 11 पिछड़े वर्ग और 7 दुकानें सहकारी समिति को आवंटित की गयीं। केवल स्वर्गाश्रम और लक्ष्मण झूला क्षेत्र में 3 स्थायी दुकानदारों को आवंटित किया गया है।

श्री प्रीतम सिंह–

जो आपने सस्ते गल्ले की दुकानों का आवंटन किया, उसमें क्या आरक्षण का ध्यान रखा गया ?

श्री प्रकाश पन्त–

जी हां, इसमें जो 128 दुकानें आवंटित की गयी हैं, उसमें 21 अनुसूचित जाति को, 11 पिछड़ी जाति को आवंटित हुई हैं।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, क्या आपने जो विज्ञप्ति जारी की, तो क्या उस विज्ञप्ति में आपने आरक्षण की व्यवस्था जारी की ? अगर की है तो सदन में बताएं।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, यह एक सामान्य प्रक्रिया है कि हम जो भी कार्य करते हैं, उसमें हम अनुसूचित जाति का विशेष ध्यान रखते हैं। इसी के चलते हमने 21 अनुसूचित जाति को और 11 पिछड़े वर्ग के लोगों को दुकानें आवंटित की हैं।

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाह रहा हूं कि हरिद्वार में कितनी और कुम्भ क्षेत्र के अन्तर्गत ऋषिकेश में कितनी सरकारी गल्ले की दुकानें आवंटित की और उनमें किन–किन को गल्ला आवंटित करने का प्राविधान है और यह कब तक संचालित होगा ?

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, यह सभी संचालित हो चुकी हैं। ऋषिकेश में 10, लक्ष्मण झूला में 2 और स्वर्गाश्रम में 2 दुकानें हैं और आवश्यकतानुसार इनको, जो हमारे श्रद्धालु हैं, साधु समाज है, अखाड़े हैं और जो हमारे कर्मचारी रहते हैं, स्वयं सहायता समूह हैं और जो अस्थायी रूप से प्रवास कर रहे हैं, जितने भी तीर्थ यात्री हैं, उनके उपयोगार्थ 21 हजार मीट्रिक टन गेहूं, 8 हजार मीट्रिक टन चावल, 4 हजार मीट्रिक टन चीनी और 10 हजार 870 किलोलीटर मिट्टी का तेल सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दर पर उपलब्ध कराया है।

नगर निकायों पर ऊर्जा निगम की देनदारी एवं भुगतान हेतु योजना

*5–डॉ0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों पर ऊर्जा निगम की कितनी देनदारी है।

तथा इसके भुगतान के लिए सरकार की क्या योजना है ?

श्री मदन कौशिक–

उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन की सूचना के अनुसार यह बकाया माह नवम्बर, 2009 तक कुल ₹ 120.82 करोड़ है।

स्थानीय निकाय स्वायत्तशासी संस्थायें हैं, जो अपनी देयता के लिए स्वयं उत्तरदायी हैं।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बताया कि नगर पंचायत और नगर परिषदों द्वारा ₹ 120 करोड़ की देनदारी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या नगर पालिकाएं इस वित्तीय स्थिति में हैं कि ये ₹ 120 करोड़ की देनदारी को ऊर्जा निगम को देने में सक्षम हैं या नहीं और दूसरा मेरा प्रश्न है क्या कोई पूरे उत्तराखण्ड में नगर पालिका या नगर पंचायत ऐसी है, जो समय से ऊर्जा निगम को भुगतान कर रही है ? मेरा मान्यवर, तीसरा प्रश्न यह है कि अगर भुगतान करने की स्थिति में नहीं हैं तो ऊर्जा निगम द्वारा इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है और भविष्य के लिए सरकार इस पर अपना क्या विचार रखती है ? यह मेरे प्रश्न हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जहां तक माननीय विधायक जी ने पहला प्रश्न किया है, उसमें चूंकि नगर पालिका, नगर पंचायतें और नगर निगम जो हैं, मैंने पहले ही कहा कि यह स्वायत्तशासी संस्था हैं, जो अपनी देयता या जो भी उनकी इनकम होती है, उसके लिए स्वयं उत्तरदायी होती हैं, सरकार इसके लिए उत्तरदायी नहीं है।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, 120 करोड़ की देनदारी है और सरकार कह रही है कि हम उत्तरदायी नहीं हैं और नगर निगम देगी नहीं, तो ऊर्जा निगम का क्या होगा ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आपने जो सवाल पूछा है, उसका पूरा उत्तर तो देने दीजिए, अभी आपने दूसरा सवाल किया कि नगर पालिका/नगर पंचायत ऐसी कौन सी हैं, जो समय से भुगतान कर रही हैं। मान्यवर, नगर पालिका परिषद्, चमोली, नगर पंचायत, गंगोत्री, नगर पालिका परिषद्, जोशीमठ, नगर पंचायत, बद्रीनाथ, नगर पंचायत, गोचर, नगर पंचायत, कर्णप्रयाग, नगर पंचायत, रुद्रप्रयाग, नगर पालिका परिषद्, पौड़ी।

श्री अध्यक्ष–

यह इनके पास होगा, जो वहन कर रही हैं, वह बता दें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, 9 पंचायतें/पालिकायें ऐसी हैं, जो समय पर अपना बिल वहन कर रही हैं और दे रही हैं।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, भुगतान न करने की स्थिति में आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, भुगतान न करने की स्थिति में तो पॉवर कॉर्पेरेशन कार्यवाही करेगा, हम क्या करेंगे।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, आपने कह दिया कि सरकार कोई कार्यवाही नहीं करेगी, 120 करोड़ रुपये की देनदारी में सरकार कोई कार्यवाही नहीं करेगी, तो इससे गैर जिम्मेदाराना बयान सदन में नहीं हो सकता है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आप सवाल पूछें।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, भुगतान नहीं हो रहा है, आपने इसकी भावना ही खत्म कर दी है, आपने कह दिया कि कोई कार्यवाही नहीं करेगी, इस प्रश्न की भावना ही खत्म हो गयी है।

चौ0 यशवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, जो पॉवर कॉर्पोरेशन अपना किराया बता रहा है या उसका बकाया बता रहा है, नगर पंचायत की जमीन पर उनके तार–खम्बे भी खड़े हैं, तो क्या उसका भी किराया नगर पंचायत को मिलेगा ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, सबसे इर्म्पोटेन्ट प्रश्न माननीय विधायक जी ने पूछा है। मान्यवर, इस सम्बन्ध में शासन में एक बैठक दिनांक 27–08–09 को प्रमुख सचिव, वित्त की अध्यक्षता में हुई थी और इस बैठक में चर्चा हुई थी, क्योंकि यह वास्तव में गम्भीर विषय है और इसमें कुछ बिन्दुओं पर चर्चा की गई, उसमें एक बिन्दु यह भी है कि यू0पी0सी0एल0 द्वारा जो निकाय की भूमि में लगाये गये ट्रांस्फार्मर या सब स्टेशन जो हैं, उनमें निकायों को उसका किराया मिलना चाहिए। इस सम्बन्ध में जो यू0पी0सी0एल0 के सी0जी0एम0 उपस्थित थे, इस बैठक में तो उनको कहा गया कि इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी को एक पत्र लिखा जाए, जिलाधिकारी वहां के किराये के जो रेट हैं, सर्किल रेट जो हैं, उसको निश्चित करेगा कि क्या हैं। (व्यवधान)

चौ0 यशवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, किराया मिलेगा या नहीं ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैंने पहले ही कहा कि नगर पालिका और नगर पंचायत ऑटोनोमस बॉडी हैं। (व्यवधान)

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, ₹ 120 करोड़ का क्या होगा ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जहां तक इसकी बात है, शासन में जो भी बात आती है, हम उस पर तत्काल बैठक करते हैं। उसके किराये के लिए जिलाधिकारी को कहा गया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

प्रदेश में वर्ष 2009–10 में आबकारी नीति अन्तर्गत दुकानों पर कुल बिक्री, एक्साइज कर का भुगतान तथा पकड़ी गई अवैध शराब

*6–श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या आबकारी मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2009–10 में आबकारी नीति के अन्तर्गत फुटकर दुकानों पर जिलेवार अब तक कुल कितनी बिक्री हुई तथा कितना एक्साइज कर का भुगतान किया गया है ?

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वर्ष 2009–10 में आबकारी विभाग के द्वारा कुल कितनी धनराशि की अवैध शराब पकड़ी गई है ?

श्री मदन कौशिक–

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2009–10 में माह जनवरी, 2010 तक फुटकर दुकानों पर जिलेवार हुई बिक्री तथा प्राप्त एक्साइज कर का विवरण निम्नवत् हैः–

मदिरा की बिक्री

जनपद	देशी मदिरा की मात्रा (ब0ली0 में)	विदेशी मदिरा (बोतलों में)	बियर (बोतलों में)	एक्साइज कर का भुगतान (₹ में) जनपद वार
1	2	3	4	5
नैनीताल	3439102	1981768	1213454	765343057
ऊधमसिंह नगर	1618010	817885	940532	382231398
अल्मोड़ा	1922047	1130631	459991	350930126
बागेश्वर	563662	455075	205372	120453911
चम्पावत	722029	368465	210299	113826852
पिथौरागढ़	530936	1021648	449191	177285369
हरिद्वार	4888288	1036089	1364921	679771106
देहरादून	5142737	3109273	2386761	1560721004

* नोटः–तारांकित प्रश्न सं0–5 के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

1	2	3	4	5
टिहरी	—	1348807	555793	184607361
उत्तरकाशी	—	737436	218896	81334150
रुद्रप्रयाग	—	421578	148836	44636505
पौड़ी	—	2044259	803565	256444138
चमोली	—	849580	531003	103537991
योग	18826811	15322494	9488614	4821122968

वर्ष 2009–10 में आबकारी विभाग के द्वारा कुल ₹ 80,91,916.00 धनराशि की अवैध शराब पकड़ी जा चुकी है।

राज्य गठन से वर्ष 2009 तक विभिन्न वर्गों की भूमि का प्रबन्धन, अभिलेखों में रखरखाव में सम्मिलित जिले एवं लाभान्वित कृषक

*7–श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या राजस्व एवं भू–प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य गठन वर्ष से वर्ष 2009 तक किन–किन वर्गों की भूमि का प्रबन्धन किया गया है तथा किन–किन जिलों में इस प्रकार की भूमि को भू–प्रबन्धन अभिलेखों में सम्मिलित किया गया है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि क्या कृषकों को वर्ग 4 तथा वर्ग 4 'क' की भूमि का लाभ मिल रहा है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

राज्य में विभिन्न श्रेणी की भूमि का प्रबन्धन एवं उनका राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज/रख रखाव प्रचलित भूमि विधियों के अनुरूप किया जा रहा है।

वर्ष 1982–83 से पूर्व की वर्ग 4 की भूमि के विनियमितीकरण हेतु वर्ष 2006 में प्रख्यापित बनायी गयी व्यवस्था का लाभ कृषकों को मिल रहा है। वर्ग 4 'क' का लाभ भी नियमानुसार जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (यथा संशोधित) के प्राविधानों के अधीन प्रदान किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

*8–श्री जोत सिंह गुनसोला–

अस्पष्टता के आधार पर निरस्त

देहरादून महानगर की अवैध मलिन बस्तियों का विनियमितीकरण

*9–श्री गणेश जोशी–

क्या नगर विकास मंत्री अवगत हैं कि महानगर देहरादून की 175 मलिन बस्तियां आज भी विनियमितीकरण न हो पाने के कारण अवैध बनी हुई हैं ?

क्या यह भी सत्य है कि मलिन बस्तियों को मालिकाना हक दिये जाने हेतु सरकार द्वारा कोई समिति गठित किए जाने की जानकारी नगर विकास विभाग को है ? यदि हां, तो क्या समिति द्वारा अब तक की प्रगति रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हुई है ?

यदि हां, तो क्या तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री मदन कौशिक–

नगर निगम, देहरादून क्षेत्रान्तर्गत 102 मलिन बस्तियां चिन्हित हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम देहरादून की भूमि/नदी खालों पर अतिक्रमण एवं हटाने का विचार

*10–श्री गणेश जोशी–

क्या नगर विकास मंत्री अवगत हैं कि देहरादून जनपद में नगर निगम की भूमि/नदी खालों पर अतिक्रमण बदस्तूर जारी है ?

यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि अतिक्रमित उक्त भूमि ऊंची पहुंच रखने वालों के कब्जे में है, जिन पर या तो उनके व्यवसायिक प्रतिष्ठान चल रहे हैं या प्लाटिंग कर बेचा जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार अवैध कब्जाधारियों से उक्त जमीनों के कब्जे हटाने पर विचार करेगी ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जनपद देहरादून में नगर निगम की भूमि/नदी खालों पर कतिपय स्थानों पर अतिक्रमण किया गया है।

नगर निगम द्वारा समय–समय पर समान रूप से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

*11–श्री किशोर उपाध्याय–

तृतीय मंगलवार के तारांकित प्र0सं0–01 में स्थानान्तरित।

पर्वतीय क्षेत्रों में पटवारियों की हड़ताल व कार्य बहिष्कार की समाप्ति हेतु सरकार का प्रयास

*12–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या राजस्व मंत्री अवगत हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में कानूनी कार्यों को पटवारियों द्वारा राजस्व पुलिस के रूप में संचालित किया जाता है ?

क्या यह सत्य है कि लम्बे समय से पटवारियों द्वारा कार्य बहिष्कार किये जाने के कारण केवल एक नायब तहसीलदार द्वारा ही सारे कानूनी कार्य बिना साधनों के कराये जा रहे हैं ?

यदि हां, तो क्या सरकार पटवारियों की कार्य बहिष्कार हड़ताल को समाप्त करायेगी ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

जी हां, कतिपय पर्वतीय क्षेत्रों में राजस्व पुलिस कार्यरत है।

वर्तमान में पटवारियों द्वारा माह मई, 2008 से राजस्व पुलिस कार्यों का बहिष्कार किया गया है। पटवारियों द्वारा पुलिस कार्यों का बहिष्कार किये जाने के कारण तहसीलों में तैनात नायब तहसीलदारों द्वारा राजस्व पुलिस कार्यों का निष्पादन किया जा रहा है।

राजस्व पुलिस कार्मिकों की मांगों पर कार्रवाई की जा रही है। कार्य बहिष्कार समाप्त करवाने हेतु सरकार प्रयासरत है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

गन्ने की तौल में 1½% कटौती समाप्त किये जाने पर विचार

*13–कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''–

क्या गन्ना विकास मंत्री अवगत हैं कि गन्ने की फसल पर तौल के दौरान 1½% (डेढ़ प्रतिशत) कटौती काटी जाती है ?

यदि हां, तो गन्ना तोल मापन में उक्त कटौती करके किसानों को नुकसान पहुंचाये जाने का क्या आधार है ?

क्या सरकार कृषक हित में गन्ने की 1½% कटौती को समाप्त करेगी ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

अतारांकित प्रश्न

हरिद्वार जनपद में गांव पंचायत की कुल भूमि एवं अवैध कब्जा हटाने पर सरकार द्वारा उपाय

1–श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि हरिद्वार जनपद के अन्तर्गत गांव पंचायत की कितनी सरकारी भूमि है एवं उक्त भूमि में कितनी भूमि पर कब से अवैध कब्जे हैं ? क्या सरकार सरकारी भूमि से अवैध कब्जे हटाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

जनपद हरिद्वार में ग्राम समाज (गांव पंचायत) की 12550 है0 सरकारी भूमि है, जिसमें से 22.544 है0 सरकारी भूमि पर गत वर्षों से अवैध कब्जे हैं। सरकारी भूमि से अवैध कब्जे हटाने हेतु जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा–122 बी0 के अधीन सक्षम न्यायालयों में वाद विचाराधीन हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के वि0ख0 मोरी के पर्यटक स्थलों के विकास हेतु सरकार के प्रयास

2–श्री राजेश जुवांठा–

क्या पर्यटन मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड मोरी के बराड़सर, केदारकांठा, देवक्यारा, बुग्याल, हरकीदून व विकास खण्ड नौगांव में सरनताल, भुजेलाताल आदि पर्यटक एवं रमणीय स्थल हैं ?

यदि हां, तो सरकार इनके विकास के लिए क्या कदम उठा रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जी हां।

राज्य सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र के पर्यटन विकास हेतु केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत पुरोला–नैटवाड़–हरकीदून पर्यटन सर्किट की स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गयी है। उक्त क्षेत्र में पड़ने वाले समस्त रमणीक क्षेत्रों का पर्यटन विकास उक्त योजना में यथासमय किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद पौड़ी अन्तर्गत ल्वाली में झील का निर्माण

*3–श्री यशपाल बेनाम–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी में, पौड़ी ब्लॉक के ल्वाली नाम स्थान में झील निर्माण का प्रकरण विचाराधीन है ?

यदि हां, तो कब तक उक्त झील का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री मदन कौशिक–

जी हां।

इस योजना में गहन तकनीकी अध्ययन/परीक्षण अपेक्षित है। किसी विशेषज्ञ तकनीकी संस्थान से सम्भाव्यता अध्ययन तथा डी0पी0आर0 निर्माण कराये जाने के उपरान्त योजना की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

प्रदेश में गन्ना किसानों को घटतौली से बचाने हेतु कम्प्यूटरीकृत कांटे की स्थापना

4–श्री प्रीतम सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में गन्ना किसानों को घटतौली से बचाने के लिए सरकार कम्प्यूटरीकृत कांटे स्थापित करने पर विचार कर रही है ?

यदि हां, तो कब तक कम्प्यूटरीकृत कांटे स्थापित कर दिये जायेंगे ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जी हां।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निकायों में अधिशासी अधिकारी, अवर अभियन्ता व सफाई निरीक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति

5—डॉ0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल—

क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों में अधिशासी अधिकारी, अवर अभियन्ता व सफाई निरीक्षक के पद रिक्त हैं ?

क्या सरकार रिक्त पदों को भरने हेतु विचार रखेगी ?

यदि हां, तो कब तक ?

श्री मदन कौशिक—

जी हां।

रिक्त पदों को भरने हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग, हरिद्वार को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु भेजा जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

सरकार द्वारा नगर पालिका अध्यक्षों की चुनाव नीति

6—श्री यशपाल बेनाम—

क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार नगर पालिका अध्यक्षों के चुनाव पूर्व की भांति जनता द्वारा ही करवायेगी या चुने गये सदस्यों द्वारा अध्यक्ष को चुने जाने पर सरकार विचार कर रही है ?

यदि हां, तो क्या ?

श्री मदन कौशिक—

नगर पालिका अधिनियम, 1916 में निहित व्यवस्थानुसार नगर पालिका अध्यक्षों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। सदस्यों द्वारा अध्यक्ष को चुने जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी अन्तर्गत सतपुली को नगर पंचायत बनाये जाने पर विचार

7—श्री यशपाल बेनाम—

क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार जनपद पौड़ी गढ़वाल के वि0ख0 द्वारीखाल के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सतपुली को नगर पंचायत बनाये जाने पर विचार कर रही है ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जी हां।

जिलाधिकारी, पौड़ी से प्रस्ताव शासन में प्राप्त हुआ है, जिसका परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कुल बी0पी0एल0/ए0पी0एल0 कार्ड धारकों एवं यूनिटों की जिलेवार संख्या

8–श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने बी0पी0एल0/ए0पी0एल0 कार्ड धारक हैं तथा कुल यूनिट कितने हैं ?

क्या मंत्री जी जिलेवार सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री दिवाकर भट्ट–

वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में 4,96,951 बी0पी0एल0 राशन कार्ड प्रचलित हैं (जिसमें 150852 अन्त्योदय राशन कार्ड सम्मिलित हैं) तथा 17,75,494 ए0पी0एल0 राशन कार्ड प्रचलित हैं। ए0पी0एली0, बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय योजना के कुल 10275748.5 यूनिटें प्रचलित हैं।

जी हां।

जसपुर (ऊधमसिंह नगर) में वाइल्ड फाउल मोटल का निर्माण

9–डॉ0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

क्या पर्यटन मंत्री अवगत हैं कि जसपुर, ऊधमसिंह नगर में बन रहे वाइल्ड फाउल मोटल का निर्माण कार्य काफी समय से बन्द है ?

यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मोटल का कार्य पुनः प्रारम्भ करेगी ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जी हां।

प्रकरण विचाराधीन है।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता है।

नगर निगम, देहरादून के डिप्टी मेयर एवं पार्षदों को मानदेय एवं भत्ता देने पर विचार

10–श्री गणेश जोशी–

क्या शहरी विकास मंत्री अवगत हैं कि देहरादून में नगर निगम राज्य का एकमात्र नगर निगम है ?

यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि नगर निगम के डिप्टी मेयर एवं पार्षदगणों को कोई भी मानदेय या भत्ते नहीं दिये जाते ?

यदि हां, तो क्या सरकार नगर निगम के डिप्टी मेयर एवं पार्षदगणों को कोई भी मानदेय एवं भत्ता दिये जाने पर विचार करेगी ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जी हां।

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

पिथौरागढ़ अन्तर्गत ''मड़ पर्यटक स्थल'' के निर्माण कार्य का ठेकेदार का शेष भुगतान

11–श्री मयूख सिंह–

क्या पर्यटन मंत्री अवगत हैं कि पर्यटन विभाग, पिथौरागढ़ द्वारा 'मड़ पर्यटक' स्थल हेतु ₹ 9 लाख स्वीकृत किये गये थे व उक्त राशि का कार्य ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध के अनुरूप पूर्ण किया जा चुका है ?

क्या यह सत्य है कि विभाग, भुगतान की द्वितीय किस्त को अवमुक्त नहीं कर रहा है ?

क्या विभाग कार्य के भुगतान हेतु द्वितीय किस्त जारी करेगा ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

मड़ चण्डिका धूरा, विकास खण्ड मूनाकोट को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2006–07 में ₹ 11.60 लाख के आगणनों पर प्रशासनिक स्वीकृति के साथ प्रथम किस्त के तौर पर ₹ 5.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

द्वितीय किस्त की अवशेष धनराशि ₹ 6.60 लाख अभी तक अवमुक्त नहीं की गयी है।

प्रथम किस्त की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर द्वितीय किस्त की धनराशि जारी कर दी जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद पिथौरागढ़ के डीडीहाट तहसील में साहसिक पर्यटन केन्द्र खोलने का प्रस्ताव

12–श्री मयूख सिंह–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के डीडीहाट तहसील में साहसिक पर्यटन केन्द्र खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

यदि हां, तो उक्त केन्द्र का प्रारम्भ कब तक किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा डीडीहाट तहसील, जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत ननपापों नामक स्थान पर साहसिक पर्यटन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने हेतु कुमायूं मण्डल विकास निगम से आगणन गठित कराकर उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् को प्रस्तुत किया गया है।

उक्त प्रस्ताव/आगणन शासन में प्राप्त होने पर सम्यक् परीक्षणोपरान्त योजना की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद पौड़ी के ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति में अनियमितता

13–श्रीमती अमृता रावत–

क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू रसोई गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति नियमित एवं व्यवस्थित रूप से न हो पाने के कारण ग्रामीण उपभोक्ताओं को कठिनाईयों से जूझना पड़ रहा ?

यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं तथा इस अव्यवस्था के प्रति कौन उत्तरदायी है ?

क्या यह भी सत्य है कि घरेलू रसोई गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति हेतु वितरण केन्द्रों का विस्तार न किये जाने के कारण उपभोक्ताओं को गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति के लिये अतिरिक्त धनराशि देनी पड़ती है ?

यदि हां, तो वितरण केन्द्रों का विस्तार करवाने के सम्बन्ध में अब तक की गई कार्यवाही और हुई प्रगति का विवरण क्या है तथा अब तक प्रस्तावित वितरण केन्द्रों पर गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति प्रारम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

श्री दिवाकर भट्ट–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण केन्द्रों के विस्तार किये जाने हेतु सभी गैस एजेन्सियों को निर्देशित किया गया है कि वे उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु विस्तार केन्द्र खोले जाने सम्बन्धी प्रस्ताव तत्काल उपलब्ध करायें।

जनपद पौड़ी के वि0ख0 पोखड़ा एवं एकेश्वर के मन्दिरों के सौन्दर्यीकरण/जीर्णोद्धार हेतु सरकार को प्राप्त प्रस्ताव एवं प्रगति

14–श्रीमती अमृता रावत

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड पोखड़ा तथा एकेश्वर के किन–किन स्थानों पर स्थित मन्दिरों के सौन्दर्यीकरण/जीर्णोद्धार हेतु प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए हैं ?

तथा इन प्रस्तावों में प्रस्तावित मन्दिरों के सौन्दर्यीकरण/जीर्णोद्धार हेतु अब तक की गई कार्यवाही एवं हुई प्रगति का विवरण क्या है ?

क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रस्तावित मन्दिरों के सौन्दर्यीकरण हेतु सरकार की क्या योजना है ?

श्री मदन कौशिक–

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड पोखड़ा तथा एकेश्वर के निम्न मन्दिरों के सौन्दर्यीकरण/जीर्णोद्धार के प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए:–

क्रमांक	ग्राम/स्थल	मन्दिर का नाम
1.	एकेश्वर	भूमिया महादेव मन्दिर
2.	–तदैव–	एकेश्वर मन्दिर
3.	सतपाली	निरंकारी देवता मन्दिर
4.	एकेश्वर	शिव मन्दिर
5.	पोखड़ा	बरसुड देव मन्दिर
6.	सतपुली	मन्दिर
7.	नावा	गोरखनाथ मन्दिर
8.	सन्तुघाट	सीता जल प्रपात
9.	मैताकुण्ड	शिव मन्दिर

उपरोक्त तालिका के क्रमांक 1 से 3 पर अंकित मन्दिरों के सौन्दर्यीकरण हेतु क्रमशः ₹ 1.93 लाख, ₹ 3.85 लाख तथा ₹ 1.28 लाख की धनराशि जिला योजना में स्वीकृत की गयी है। क्रमांक 4 तथा 5 पर अंकित मन्दिरों के सौन्दर्यीकरण हेतु राज्य योजना में क्रमशः ₹ 16.40 की प्रशासनिक स्वीकृति के सापेक्ष ₹ 7.00 लाख की स्वीकृति तथा ₹ 16.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी है। वित्तीय वर्ष 2009–10 में विभाग की नई योजना मद में बजट का प्राविधान न होने के कारण क्रमांक 6 से 9 पर अंकित मन्दिरों के सौन्दर्यीकरण के प्रस्तावों पर कार्यवाही नहीं की जा सकी है।

विभाग की संगत योजना में बजटीय व्यवस्था होने पर प्रस्तावों की स्वीकृति पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

जनपद नैनीताल के कोटाबाग में रसोई गैस की समस्या एवं गैस गोदाम का निर्माण

15–श्री खड़क सिंह बोहरा–

क्या खाद्य मंत्री अवगत हैं कि नैनीताल जनपद के कोटाबाग क्षेत्र के उपभोक्ताओं की रसोई गैस की भारी समस्या को देखते हुये, कोटाबाग क्षेत्र में एक गैस गोदाम का निर्माण पिछले वर्षों से कुमायूं मण्डल विकास निगम द्वारा कराया गया था, जो आज तक प्रारम्भ नहीं किया गया है ?

यदि हां, तो कब तक गैस गोदाम को सुचारु रूप से प्रारम्भ किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

जी हां, कुमायूं मण्डल विकास निगम द्वारा जनपद नैनीताल के स्थान कोटाबाग में गैस एजेन्सी खोले जाने हेतु समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात गैस एजेन्सी प्रारम्भ किये जाने हेतु इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन (आई0ओ0सी0) से अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु (आई0ओ0सी0) को प्रस्ताव भेजा जा चुका है।

इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन (आई0ओ0सी0) से अनुमति प्राप्त होने के पश्चात।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद नैनीताल अन्तर्गत भीमताल से कड़कोटकधार तक रज्जूमार्ग निर्माण की योजना एवं कार्यवाही

16–श्री खड़क सिंह बोहरा–

क्या पर्यटन मंत्री अवगत हैं कि नैनीताल जनपद में पर्यटन के लिए तेजी से विकसित हो रहे नगर भीमताल से कड़कोटक धार तक पर्यटकों को हिम दर्शन, पर्वतों के सुन्दर प्राकृतिक सौन्दर्य को निहारने, पौराणिक नाग देवता मंदिर, ऐतिहासिक दत्तात्रेय आश्रम एवं गुफा आदि को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु रज्जू मार्ग निर्माण की किसी योजना पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ?

यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

राज्य सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र के पर्यटन विकास हेतु केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत भवाली–रामगढ़–मुक्तेश्वर–धारी–भीमताल–सातताल–हेड़ाखान–हल्द्वानी वैलनेस पर्यटन सर्किट की स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गयी है। उक्त क्षेत्र में पड़ने वाले समस्त रमणीक क्षेत्रों का पर्यटन विकास उक्त योजना में प्रस्तावित किया जायेगा।

जनपद नैनीताल के तहसील कोश्यांकुटोली के ग्राम मझेड़ा में खाद्य गोदाम की शुरूआत

17–श्री खड़क सिंह बोहरा–

क्या खाद्य मंत्री अवगत हैं कि नैनीताल जनपद की तहसील कोश्यांकुटोली के ग्राम मझेड़ा में कई वर्षों पूर्व विभाग द्वारा एक खाद्य गोदाम का निर्माण कराया गया था, जो आज तक प्रारम्भ नहीं किया गया है ?

यदि हां, तो कब तक इस खाद्य गोदाम को सुचारु रूप से प्रारम्भ किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

जी हां, जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय में पूर्ति निरीक्षकों/गोदाम प्रभारी तथा पल्लेदार कम चौकीदारों की कमी के कारण उक्त गोदाम प्रारम्भ नहीं किया गया है। पूर्ति निरीक्षकों की नियुक्ति हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है।

पूर्ति निरीक्षकों की नियुक्ति होने के पश्चात।

प्रश्न नहीं उठता।

देहरादून अन्तर्गत शहंशाही आश्रम, राजपुर से मसूरी तक रोप–वे निर्माण की योजना

18–श्री गणेश जोशी–

क्या पर्यटन मंत्री अवगत हैं कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शहंशाही आश्रम, राजपुर से मसूरी तक रोप–वे निर्माण की कोई योजना बनायी गयी है ?

यदि हां, तो इस योजना को कब तक प्रारम्भ किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

शहंशाही आश्रम, राजपुर से मसूरी तक रोप–वे निर्माण की कोई योजना नहीं बनायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद ऊधमसिंह नगर के खटीमा शहर के मध्य ऐंठा नाला व खकरा नदी की सफाई की कार्य योजना

19–श्री गोपाल सिंह राणा–

क्या शहरी विकास मंत्री अवगत हैं कि जिला ऊधमसिंह नगर के खटीमा शहर के मध्य बहने वाले ऐंठा नाला तथा खटीमा नगर के उत्तर की सीमा में बहने वाली खकरा नदी के कारण प्रत्येक बरसात में नगर में तबाही होती है ?

यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नदियों की सफाई हेतु कोई कार्य योजना बना रही है ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जी नहीं, बरसात में नगर में कोई तबाही नहीं हुई है।

निकाय द्वारा अपने स्तर से इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निकायों में कूड़ा निस्तारण योजना तथा नगर पालिका मसूरी द्वारा स्वीकृत धन का उपयोग एवं लाभ

20–श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश की स्थानीय निकायों के कूड़ा निस्तारण के लिए कोई योजना स्वीकृत की गई है ?

यदि हां, तो मसूरी नगर पालिका परिषद् द्वारा अन्तिम कूड़ा निस्तारण के लिए स्वीकृत योजना के धन का सदुपयोग कब तक कर लिया जायेगा तथा उक्त योजना का लाभ कब तक मसूरीवासियों को मिलेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जी हां। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत चयनित मिशन शहर देहरादून तथा हरिद्वार नगर के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की परियोजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी है तथा नैनीताल हेतु ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त एशियन डेवलपमेंट बैंक सहायतित परियोजनाओं के अन्तर्गत चयनित 28 शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की परियोजना प्रस्तावित है।

नगर पालिका परिषद्, मसूरी के लिए कूड़ा निस्तारण हेतु कार्य योजना वर्तमान में शासन स्तर से स्वीकृत नहीं है। सामान्यतः निकाय के पास उपलब्ध संसाधनों/स्रोतों से इस उत्तरदायित्व का निर्वहन स्थानीय निकाय के अधिकार क्षेत्र में है।

मसूरी नगर की ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की परियोजना एशियन डेवलपमेंट बैंक सहायतित परियोजनाओं के अन्तर्गत ट्रांच–4 में सम्मिलित है।

जनपद देहरादून अन्तर्गत पुरूकुल गांव से मसूरी रोप–वे को पी0पी0पी0 मोड में स्वीकृत कार्य का प्रारम्भ

21–श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पुरूकुल गांव से मसूरी को जाने वाले रोप–वे को पी0पी0पी0 मोड में स्वीकृत कार्य को आरम्भ कर दिया गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक—

जी नहीं।

परियोजना हेतु आवश्यक सरकारी व निजी भूमि के हस्तान्तरण/अधिग्रहण तथा पी0पी0पी0 मोड में परियोजना के निर्माण व संचालन हेतु निवेशक के चयन की कार्यवाही की जा रही है। उक्त कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात ही योजना का कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

प्रदेश में भूमिहीन अनुसूचित जाति के लोगों को सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराने पर विचार

22—श्री राजेश जुवांठा—

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में भूमिहीन अनुसूचित जाति के लोगों को सरकार भूमि उपलब्ध करवाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट—

प्रदेश में भूमिहीन अनुसूचित जाति के लोगों को भूमि उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था विधिक प्राविधानों एवं तत्सम्बन्धी सरकारी नीतियों के अनुरूप पूर्व से प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''—

माननीय अध्यक्ष जी, व्यवस्था का प्रश्न है। आज मेरा तारांकित प्रश्न संख्या—13 था, इस पर सरकार की तरफ से जो जवाब आया है, वह बिल्कुल भ्रामक और सत्य से परे है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या विधान सभा ने सरकार की तरफ से भ्रामक उत्तर देने का अधिकार सरकार को दे दिया है। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, नियम—310 के अन्तर्गत आज हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। यह बहुत ही गम्भीर विषय है, ऋषिकेश के अंदर जमीन को बेचने का कार्य सरकार द्वारा किया गया है। अरबों रुपये का घोटाला सरकार द्वारा किया गया है। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आपकी बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा। आप इस बात से भिज्ञ हैं, आप मंत्री रह चुके हैं। आप सरकार चला चुके हैं।

(नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने—अपने स्थान पर खड़े हो गये और एक साथ अपनी—अपनी बात कहने लगे।)

श्री शहजाद—

माननीय अध्यक्ष जी, नियम—310 के अन्तर्गत हमारी भी बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। (घोर व्यवधान)

(नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में आ गये और अपनी—अपनी बात कहने लगे)

श्री अध्यक्ष—

कृपया अपना—अपना स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

('वेल' में मौजूद सभी माननीय सदस्य नारेबाजी करने लगे)

नियम—300 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

आज नियम—300 के अन्तर्गत श्री यशपाल बेनाम, श्री सुरेन्द्र राकेश, चौ0 यशवीर सिंह, श्री किशोर उपाध्याय, श्री शेर सिंह गढ़िया, श्री राजकुमार तथा श्री ओम गोपाल रावत की कुल 07 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से श्री सुरेन्द्र राकेश, चौ0 यशवीर सिंह, श्री किशोर उपाध्याय, श्री शेर सिंह गढ़िया, श्री राजकुमार तथा श्री ओम गोपाल रावत की सूचनाओं को नियम—300 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूं। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुईं।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश, चौ0 यशवीर सिंह, श्री किशोर उपाध्याय का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य अपनी सूचना पढ़ने के लिए अपने स्थान पर खड़े नहीं हुए)

जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट के अन्तर्गत कई गांवों में खाद्यान्न संकट के सम्बन्ध में नियम—300 के अन्तर्गत सूचना

श्री शेर सिंह—

[मान्यवर, बागेश्वर जनपद, विकास खण्ड कपकोट के अन्तर्गत निर्धारित राशन कार्ड धारकों का मासिक आवंटन ए0पी0एल0 तथा बी0पी0एल0 का खाद्यान्न नियमित रूप से नहीं दिया जा रहा है। खाद्यान्न की सप्लाई नहीं होने के कारण कई प्रा0 पाठशाला

नोटः—[ ] यह अंश पढ़े हुए माने गये।

तथा जू0 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन नहीं बनाया जा रहा है, खाद्यान्न सप्लाई करने वाले ठेकेदारों द्वारा खाद्यान्न को ऊंचे दामों में खुले बाजार में बेचा जा रहा है, जिस कारण लगभग 50 गांवों में खाद्यान्न का संकट बना हुआ है। बागेश्वर जिले को निर्धारित कोटे के अनुरूप खाद्यान्न मिलना चाहिए।

इस अति लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यानाकर्षण कर समुचित कार्रवाई की मांग करता हूं।]

(श्री अध्यक्ष जी द्वारा माननीय सदस्य श्री राजकुमार जी का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य अपनी सूचना पढ़ने के लिए खड़े नहीं हुए)

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओम गोपाल रावत–

[महोदय, अवगत कराना है कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों का मानदेय विगत वर्ष 2006 से ₹ 6 हजार है, सरकार ने अन्य सभी विभागीय कर्मियों/निकाय कर्मियों को छठे वेतनमान का लाभ दिया है, किन्तु शिक्षा मित्रों को छठे वेतनमान से वंचित रखा गया है। यद्यपि सरकार शिक्षा मित्रों को 2 वर्षीय बी0टी0सी0 प्रशिक्षण देकर नियमित करने का जिक्र कर चुकी है, परन्तु उक्त निर्णय से सभी शिक्षा मित्रों का एक साथ लाभान्वित होना डायटों के हिसाब की क्षमता के हिसाब से सम्भव नहीं है। इसलिए वर्तमान महंगाई को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा मित्रों को भी छठे वेतनमान के अनुरूप लाभ दिया जाना नितान्त आवश्यक है, विषय लोक महत्व का होने के कारण अविलम्बनीय है। अविलम्ब कार्यवाही की मांग करता हूं।]

(घोर व्यवधान के मध्य)

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी नियम–310 के अन्तर्गत दो बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अभी ले रहा हूं। (व्यवधान) कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, हमें आपका संरक्षण चाहिए। प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के दल–दल में डूबती जा रही है। आज इस प्रदेश को बचाने का सवाल है माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश की जनता आपकी ओर नजर लगाकर देख रही है। यह सदन प्रदेश को भ्रष्टाचार से

नोटः–[ ] यह अंश पढ़े हुए माने गये।

उबारने के लिए क्या कदम उठाता है, यह जनता देख रही है। आज प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं को माफियाओं के हाथों बेचा गया है। जिस तरह से ऋषिकेश का जमीन घोटाला हुआ है। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि पूरे सदन की कार्यवाही रोककर इन दो मुद्दों पर चर्चा करायी जाय।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी भी नियम–310 की सूचना है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

ले रहे हैं, आप पहले स्थान तो ग्रहण करें। देखते हैं, अभी आपको बताते हैं। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) (संशोधन) विधेयक, 2010

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करता हूँ।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् नारे लगाते रहे)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, यदि आप अनुमति दें तो मैं घोटाले खोलता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही को अपराह्न 01:00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन अपराह्न 01:15 बजे तक के लिये बढ़ा दिया है।

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन अपराह्न 03:00 बजे तक के लिये बढ़ा दिया है।

(सदन की कार्यवाही अपराह्न 3:00 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

नियम–310 के अन्तर्गत कतिपय विषयों को सुने जाने की मांग

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी नियम–310 की सूचनाओं पर चर्चा कराये जाने की मांग करने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(घोर व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी नियम–310 की महत्वपूर्ण सूचना है, इस पर चर्चा करायी जाय। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप क्या चाहते हैं ?

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सूचना पर नियम–310 में चर्चा करा दें। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं तो कल से कह रहा हूं, चर्चा कर लीजिए।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम–310 में चर्चा करा दीजिए। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

चर्चा करा देंगे।

श्री दिनेश अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आप विनिश्चिय दे दीजिए। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

विनिश्चिय दे दिया, आप बोलें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, आपके विनिश्चिय देने के बाद भी विपक्ष बोलने को तैयार नहीं है, इससे हास्यास्पद बात और क्या हो सकती है। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप नियम–310 देखें, उसमें क्या लिखा है ?

श्री प्रीतम सिंह

श्रीमन्, देख लिया। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

एक बार फिर देख लें।

श्री प्रीतम सिंह

श्रीमन्, सदन की कार्यवाही रोककर नियम–310 में चर्चा करायी जाये। (घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, इस समय सदन की कार्यवाही रुकी है। आपसे कहा जा रहा है बोलिये। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

नियमावली में यह है कि ''यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाये तो वह नियम उस समय के लिए निलम्बित कर दिया जायेगा। ऐसी अवस्था में जिस प्रक्रिया का अनुकरण किया जायेगा, वह अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित की जायेगी।''

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे दो विषय हैं, आप पहले किस पर चर्चा शुरू करायेंगे ? (घोर व्यवधान)

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सूचना भी पहले से है। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

पहले जो प्राप्त हुई है, उस पर करा लेते हैं।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, ग्राह्यता पर नहीं, इस पर चर्चा करायी जाये। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

नियमों के अन्तर्गत ही तो चर्चा करायी जायेगी।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, अभी तो यह पता नहीं चल पा रहा है कि आप किस विषय पर चाह रहे हैं, आप यही नहीं बताना चाह रहे हैं कि किस विषय पर बोलना चाह रहे हैं। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप नियम–310 तो देखिये, उसमें क्या लिखा है ? उसमें यह है कि ''ऐसी अवस्था में जिस प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा, वह अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित की जायेगी।'' आप प्रस्ताव लायेंगे या नहीं लायेंगे ? (घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह प्रस्ताव नहीं है, यह केवल सूचना है और सूचना इसलिए है कि आप सदन की कार्यवाही स्थगित करना चाह रहे हैं, नियमों का निलम्बन करना चाहते हैं। नियमों का निलम्बन क्यों करना चाहते हैं, यह तो बतायें। जब आप बतायेंगे, तब माननीय अध्यक्ष जी उस पर अपना विनिश्चिय देंगे। सदन नियमों से चलेगा। हमारी नियमावली इसीलिए बनायी गई है। आपने पहले से तय कर रखा है कि सदन को नहीं चलने देंगे। (घोर व्यवधान)

(नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में आ गये और नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया) (घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, यह 84 लाख जनता का अपमान है। इनके इस चरित्र को 84 लाख जनता देख रही है। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (घोर व्यवधान)

('वेल' में खड़े सभी माननीय सदस्य पूर्ववत् नारे लगाते रहे)

(घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, इस सरकार का चरित्र पूरे प्रदेश की जनता देख रही है। यह एक करोड़, दो करोड़ या सौ करोड़ का नहीं, यह हजारों करोड़ का घोटाला है। (घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। जब तक सदन व्यवस्थित न हो जाए तब तक किसी भी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा। माननीय सदस्यगणों से अनुरोध है कि कृपया स्थान ग्रहण करें। पहले प्रस्ताव तो लाइये, तभी तो चर्चा होगी।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, केवल एक ही उद्देश्य है कि सदन न चलने दिया जाए। आप तथ्यों के साथ अपनी बात रखें। माननीय सदस्य अपनी बात शालीनता से रखें, तभी तो चर्चा होगी। हंगामा करने से कोई लाभ नहीं होगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। पहले प्रस्ताव तो लाइये।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, कोई घोटाला नहीं है। अगर घोटाला है, तो तथ्यों के साथ अपनी बात रखें। यह सदन इसलिये है कि आप अपनी बात तथ्यों के साथ रखें। केवल हल्ला करना ही मकसद नहीं होना चाहिए। श्रीमन्, किसी तरह का कोई घोटाला नहीं है। मैं एक–एक विषय को सिद्ध करूंगा। तथ्यों को रखें तो सही। माननीय सदस्य भी अपने पक्ष को रखें, हम भी अपने पक्ष को रखेंगे। सदन के समक्ष तथ्यों को रखें। केवल हल्ला–गुल्ला और कपोल कल्पित बात कहने से काम नहीं चलेगा।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य श्री किशोर उपाध्याय जी द्वारा कुछ पत्रादि दिखाने पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपने स्थान पर खड़े होकर फाइल दिखाई)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (शोर)

(घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, कोई विषय है तो शालीनता के साथ और तथ्यों के साथ सदन के समक्ष रखें तो सही। अपनी बात तो रखें।

(घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, हम कांग्रेस सरकार और इनकी सरकार में हुए घोटालों की सी0बी0आई0 जांच की मांग करते हैं।

('वेल' में खड़े सभी माननीय सदस्यगण पूर्ववत् नारे लगाते रहे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, सी0बी0आई0 से जांच होनी चाहिए।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

किसी भी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा, जब तक वे अपने स्थान पर नहीं जायेंगे। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आप अपने साथियों से आसन ग्रहण करने के लिए आग्रह तो करें। हम हर विषय पर चर्चा करने को तैयार हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप अपना प्रस्ताव तो रखें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत—

माननीय अध्यक्ष जी, अगर यह सरकार कह रही है कि कांग्रेस सरकार में घोटाले हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि इस सरकार के घाटालों की भी जांच सी0बी0आई0 से हो और कांग्रेस सरकार में हुए घोटालों की जांच भी सी0बी0आई0 से हो।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष—

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत—

मान्यवर, जो भी सरकार में घोटाले हुए हैं, सरकार को हिम्मत हो तो घोटालों की जांच सी0बी0आई0 से कराये।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त—

माननीय अध्यक्ष जी, 56 घोटालों की जांच तो चली गयी है, उसमें कई के पर्दाफाश होने वाले हैं।

(माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपने स्थान पर बैठकर बन्द फाइल दिखायी)

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत—

मान्यवर, यदि 56 घोटाले हुए हैं, तो पन्त जी हमको क्यों दिखा रहे हो, जांच तो करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त—

श्रीमन्, आप विषय की ग्राह्यता पर तो बोलें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत—

माननीय अध्यक्ष जी, किस बात की ग्राह्यता, इस पर चर्चा होनी चाहिए, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप पहले प्रस्ताव तो रखें। ''कोई भी सदस्य अध्यक्ष की सहमति से प्रस्ताव कर सकेंगे'' आपने प्रस्ताव रखा ? प्रस्ताव के बाद तो दोनों पक्ष को सुनना पड़ेगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, ये प्रस्ताव क्यों करना चाह रहे हैं, उसके बारे में बतायेंगे, तब प्रस्ताव आयेगा, उस प्रस्ताव पर माननीय अध्यक्ष जी का विनिश्चय आयेगा। मान्यवर, क्यों प्रस्ताव लाना चाह रहे हैं, उसका कारण तो बतायेंगे। इस तरह शोर करने से तो नहीं चलेगा। श्रीमन्, यह सदन नियमावली के नियमों के आधार पर चलेगा न कि माननीय नेता प्रतिपक्ष या संसदीय कार्य मंत्री के आधार पर चलेगा। (घोर व्यवधान)

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् नारे लगाते रहे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह सरकार भ्रष्टाचार कर रही है। इस सरकार ने जल, जंगल और जमीन को माफियाओं के हाथ बेच दिया है और यहां की जनता के साथ अन्याय हो रहा है। (घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

जब तक सदन व्यवस्थित नहीं हो जाता, किसी भी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान नहीं लिया जाय। (घोर व्यवधान)

आज नियम–310 के अन्तर्गत पहली सूचना डा0 हरक सिंह रावत, डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, श्री बलवीर सिंह नेगी, श्री राजेश जुवांठा, श्री दिनेश अग्रवाल, श्री केदार सिंह रावत, श्रीमती अमृता रावत, श्री तिलक राज बेहड़, श्री मनोज तिवारी, श्री करन मेहरा की, जो प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाओं को निजी क्षेत्र में दिए जाने के किए गए भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री किशोर उपाध्याय, श्री गोपाल सिंह राणा, श्री प्रीतम सिंह, श्री महेन्द्र सिंह माहरा, श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल की सूचना जो राज्य सरकार द्वारा ऋषिकेश स्थित सिटूरगिया बायोकेमिकल्स लिमिटेड कारखाने का भू–उपयोग परिवर्तन में किए गए निर्णय के सम्बन्ध में है और तीसरी सूचना श्री प्रेमानन्द महाजन, श्री शहजाद, श्री सुरेन्द्र राकेश की है, जो उत्तराखण्ड में नियमों व शासनादेशों की धज्जियां उड़ाते हुए सरकार ने एक उद्योगपति के स्वामित्व वाली "स्टर्डिया केमिकल कम्पनी" जो ऋषिकेश में स्थित है, के सम्बन्ध में है एवं चौथी सूचना श्री नारायण पाल, श्री शहजाद, हाजी तस्लीम अहमद की है, जो प्रदेश में सिडकुल क्षेत्र के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर के सितारगंज, पंतनगर, रुद्रपुर, हरिद्वार व देहरादून में स्थित हजारों औद्योगिक इकाईयों के सम्बन्ध में है। इन सूचनाओं को मैं सदन व्यवस्थित न होने के कारण अस्वीकार कर रहा हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–58 के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री केदार सिंह रावत, श्री किशोर उपाध्याय तथा श्री नारायण पाल की कुल 04 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। सदन व्यवस्थित न होने के कारण मैं नियम–58 की सभी सूचनाओं को अस्वीकार कर रहा हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

श्री अध्यक्ष–

महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी।

(घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अन्तर्गत श्री यशपाल बेनाम, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री केदार सिंह रावत तथा श्री पुष्पेश त्रिपाठी की कुल 4 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, मैं इनमें से मा0 सदस्य श्री पुष्पेश त्रिपाठी की सूचना, जो देवभूमि उत्तराखण्ड में गंगा जैसी पवित्र नदी तथा विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा अनेक योजनाओं का संचालन किये जाने के बाद भी प्रदेश की बड़ी आबादी को गुणवत्तायुक्त स्वच्छ पेयजल उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, को नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए तथा राज्य में पंचायती राज एक्ट लागू करने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री यशपाल बेनाम की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए और जनपद हरिद्वार के राजाजी नेशनल पार्क से लगे हुए राजस्व ग्रामों में रहने वाली आबादी को जंगली जानवरों से जान–माल का खतरा होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश की सूचना को ध्यानाकर्षण के लिए स्वीकार कर रहा हूं। शेष सूचनायें अस्वीकार हुईं।

अब हम उठते हैं कल पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए।

(इसके उपरान्त सदन की कार्यवाही 3 बजकर 21 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

देहरादून,
दिनांकः 10 मार्च, 2010

महेश चन्द्र,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड विधान सभा।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं0–2 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0 21 पर)

पर्वतीय जनपदों हेतु ए0पी0एल0, बी0पी0एल0 तथा अन्त्योदय योजना के खाद्यान्न की आवश्यकता/आवंटन

(मी0 टन में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	ए0पी0एल0 योजना मासिक आवश्यकता एवं आवंटन					बी0पी0एल0 योजना मासिक आवश्यकता एवं आवंटन					अन्त्योदय अन्न योजना मासिक आवश्यकता एवं आवंटन				
		लक्षित/प्रचलित राशन कार्ड	आवश्यकता		आवंटन		लक्षित/प्रचलित राशन कार्ड	आवश्यकता		आवंटन		लक्षित/प्रचलित राशन कार्ड	आवश्यकता		आवंटन	
			गेहूं	चावल	गेहूं	चावल		गेहूं	चावल	गेहूं	चावल		गेहूं	चावल	गेहूं	चावल
1.	पौड़ी	164125	3282.5	2461.8	2151.80	214.90	23261	238.440	575.810	238.440	575.810	10154	106.230	249.146	106.230	249.146
2.	रुद्रप्रयाग	41162	823.2	617.4	541.20	54.00	10586	108.515	262.055	108.515	262.055	4617	48.300	113.268	48.300	113.268
3.	टिहरी	103699	2074.00	1555.5	1359.40	135.60	34480	353.440	853.525	353.440	853.525	15270	159.740	374.693	159.740	374.693
4.	उत्तरकाशी	42453	849.00	636.8	558.30	56.70	19803	202.990	490.210	202.990	490.210	8637	90.340	211.919	90.340	211.919
5.	देहरादून	327418	6548.3	4911.2	2507.7	426.50	33416	342.535	827.185	342.535	827.185	14575	152.480	357.637	152.480	357.637
6.	चमोली	55520	1110.4	832.8	731.7	75.00	20432	209.445	505.85	209.445	505.785	8912	93.220	218.667	93.220	218.667
7.	नैनीताल	197448	3949	2961.7	1506.5	257.40	26073	267.265	645.410	267.265	645.410	11372	118.970	279.036	118.970	279.036
8.	अल्मोड़ा	112282	2245.6	1684.2	1473.1	147.10	33771	346.175	835.960	346.175	835.960	14729	154.050	361.417	154.050	361.417
9.	पिथौरागढ़	75112	1502.2	1126.6	981.4	97.80	25066	256.945	620.480	256.945	620.480	10933	114.360	268.263	114.360	268.263
10.	बागेश्वर	39301	786.0	589.5	514.87	51.53	15461	158.485	382.720	158.485	382.720	6743	70.930	165.440	70.930	165.440
11.	चम्पावत	36113	722.2	541.7	486.90	48.60	13617	139.585	337.070	139.585	337.070	5939	62.100	145.710	62.100	145.710
	योग	1194633	23892.4	17919.2	12812.87	1565.13	255966	2623.82	6336.21	2623.82	6336.21	111881	1170.72	2745.196	1170.72	2745.196

नोटः– प्रति राशन कार्ड प्रति माह निम्नलिखित योजनाओं में निम्नानुसार खाद्यान्न आवंटन किया गया–

(1) ए0पी0एल0 योजना के अन्तर्गत गेहूं की मात्रा 20.00 किग्रा तथा वावल की मात्रा 15.00 किग्रा प्रति माह।

(2) बी0पी0एल0 योजना के अन्तर्गत गेहूं की मात्रा 10.250 किग्रा तथा चावल की मात्रा 24.750 किग्रा है तथा हरिद्वार में गेहूं की मात्रा 19.800 किग्रा तथा चावल की मात्रा 15.200 किग्रा प्रति माह।

(3) अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत गेहूं की मात्रा 10.460 किग्रा तथा चावल की मात्रा 24.540 किग्रा प्रति माह।

पर्वतीय जनपदों हेतु चीनी का मासिक आवंटन एवं आवश्यकता का विवरण
(माह जनवरी, 2010 की स्थिति)

(मी0 टन में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	मासिक आवंटन	प्रचलित राशन कार्डों की संख्या (ए0पी0एल0/ बी0पी0एल0/अन्त्योदय)	प्रचलित यूनिट (ए0पी0एल0/बी0पी0एल0/ अन्त्योदय)	राज्य में उपलब्ध कुल यूनिट्स के आधार पर मासिक आवश्यकता (0.5872 किलो प्रति यूनिट की दर से)	माह जनवरी, 2010 में वितरित की गई चीनी की मात्रा
1.	पौड़ी	496.0	197540	881625	517.6	432.950
2.	रुद्रप्रयाग	162.0	56365	265885	156.1	142.250
3.	टिहरी	430.0	153449	676507	397.2	351.000
4.	उत्तरकाशी	209.0	70893	304598	178.8	149.450
5.	देहरादून	910.0	375409	1740609	1021.9	892.000
6.	चमोली	263.0	84864	445442	261.5	228.950
7.	नैनीताल	543.0	234893	1118770	656.9	534.900
8.	अल्मोड़ा	449.0	160782	743391	436.5	368.150
9.	पिथौरागढ़	329.0	111111	477399	280.3	317.105
10.	बागेश्वर	177.0	61505	269223	158.0	165.300
11.	चम्पावत	160.0	55669	262097	153.9	169.900
	योग	4128.00	1562480.00	7185546	4218.7	3751.955

नोट :—माह अप्रैल, 2009 से माह जनवरी, 2010 तक राज्य हेतु भारत सरकार से कुल 63811.00 मी0टन लेवी चीनी का आवंटन किया गया, परन्तु मिलों में लेवी अंश उपलब्ध न होने के कारण मात्र 38570.10 मी0टन लेवी चीनी उपलब्ध हो पाई एवं 25240.90 मी0टन चीनी उपलब्ध नहीं हो पाई। इस प्रकार वित्तीय वर्ष, 2009–10 में माह जनवरी, 2010 तक 4 माह के मासिक आवंटन के बराबर लेवी चीनी प्राप्त नहीं हो पाई जिससे राज्य के विभिन्न पर्वतीय जनपदों के राशनकार्ड धारकों को निर्धारित मानकानुसार चीनी उपलब्ध नहीं कराई जा सकी।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 23 विधान सभा/411–05–02–2013–200 पुस्तकें (कम्प्यूटर/रीजियो)।